

HEI Response: Metric ID 6.4.2

As desired in DVV clarification, the complete details of Copy of the sanction letters received from government bodies for development and maintenance of infrastructure are attached as per Table of Content given below: Here it is worthwhile to mention that sometimes the Grant received in one financial year is carry forward to the subsequent financial years but proof is given when that grant is received.

Table of Contents

S.	Academic	<u>Title of proof</u>	Page
No.	Session		<u>No</u>
1.	2021-22	A. Grant Letter of amount Rs 15 Cr from AKTU under DDQIP	1-5
		B. Grant Letter of amount Rs. 16.50 Lakhs from AICTE under RUSA	6
2.	2020-21	A- Grant letter of amount Rs. 86.75 Lakhs from AICTE under RUSAB- Grant letter of amount Rs. 196.00 Lakhs from State Government	7-9 10-12
		under RUSA C- Grant letter of amount Rs. 109.00 Lakhs from State Government under RUSA	13-15
		D- Hindi to English Translation of A+B+C	16-18
		E- Amount. Rs. 410 Lakhs from AKTU under DDQIP	19
3.	2019-20	A. Grant letter of amount Rs. 99.56 Lakhs from State Government, U.P.	20-22
		B. Grant letter of amount Rs.109.00 Lakhs from State Government, U.P	23-25
		C. Grant letter of amount Rs. 363.25 Lakhs from State Government, U.P	26-28
		D. Grant letter of Amount Rs 196.51 Lakhs from State Government, U.P	29-31
		E. Grant letter of Amount Rs 120.53 Lakhs from State Government, U.P	32-34
		F. Grant letter of amount Rs 161.58 Lakhs from State Government, U.P	35-37
		G. Grant letter of amount Rs 176.07 Lakhs from State Government, U.P	38-40
		H. Hindi to English Translation of A+B+C+D+E+F+G	41-47

Rzabić acerz yllalua laga laga laga laga laga laga lag					
4.	2018-19	 A. Grant Letter of amount Rs. 435.90 Lakhs received State Government, U.P. B. Grant Letter of amount Rs. 310.00 Lakhs received State Government, U.P C. English translation of A+B 	48-49 50-52 53-54		
		D. Amount Rs. 165.95 Lakhs granted from the University budget.	55-56		
		E. Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 191.77 lakhs received from University income	57-58		
5.	2017-18	A. Grant Letter of Amount Rs. 30 Lakhs from State Government, U.P	59-60		
		B. Grant Letter of Amount Rs. 137.06 Lakhs, from State Government, U.P	61-63		
		C. Grant Letter of Amount Rs. 230.29 Lakhs, from State Government, U.P.	64-66		
		D. Grant Letter of Amount Rs. 1000.00 Lakhs	67-69		
		E. Grant Letter of Amount Rs. 340 Lakhs, from State Government, U.P	70-76		
		F. English translation A+B+C+D	77-81		
		G. Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 452.09 Lakhs received from University income	82-83		

(Prof. S.K. Sharma) Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur-208002

MAINTENANCE Grant Letter of Rs. 15 Crore from AKTU under DDQIP डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र० भागु एताप सिंह सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ- 226031 वितर अधिकारी - · · · / डा०ए०के०टी०यू / बित्त समिति / बित्त मु० / 2017 पत्रांक दिनांक 09- राष्ट्र-17 सेवा में, निदेशक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, अम्बेडकर नगर राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, विजनीर। राजकीय इंग्रीनियरिंग कालेज, क्षंदा। राजकीय इंजोनियरिंग कालेज, मैनपुरी।

- राजकीय इंजीनियरिंग .कालेज, कन्नौज।
 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभट्र।
- 7. यू.पी.टी.टी.आई., कान्पुर।
- बी.आई.ई.टी., झौंसी।
- 9. के.एन.आई.टी., सुल्तानपुर।
- 10. कुलसचिव, एच.बो.टो.थू., कानपुर।
 - 11. कुलसचिव, एम.एम.एम.टी.यू., गोरखपुर।

महोदय,

इस पत्र के साथ दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ की, वित्त समिति की 48वीं बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 17:48:10 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। ; संलग्नक :-- यथोपरि।

भवदीय

्रिगुषु प्रजाप सिंह) द्वार्थ विता अधिकारी

प्रतिलिपि :- स्टाफ आफिसर, कुलपति, ए.के.टी.यू., लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

1

(भानु प्रताप सिंह)

वित्त अधिकारी



Scanned by CamScanner

war offer and started and

739 2511

भगवदाग उर्ततन्त्रहोग अन्तर्भा तथा जन्म प्रान्तरू निरुषायुक्तार्भ पुर्थात् सुधा हर्गु निरायावद्यालय स्तर पर गत्म गवरा पराक्षा विश्व को पायदी स प्राप्त वेदाहत तिथि स इ.200.00 कर्माइ को सहायता दी जानी प्रस्तापित है। उनमें 10 प्राप्तकीय अंत्रीतियर्गिंग कालको विजयविद्यालय के घटक मेम्यान आई.इं.टी. लखनऊ, वास्तुकला संकाय, लखनऊ तथा यू.पी.इंस्टोट्यूट ऑफ डिजाइन नोएडा. संन्टर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के. टी.यू. लखनऊ तथा दो अन्य प्राधिधिक विश्वविद्यालयों (एम.एम.यी.यू., गोरखपुर, एम. यी.टी.यू. कानपुर) को सहायता दो जानी प्रस्तार्थित है। इस योजना के मूल उद्देष्ट्रय निम्नयत है:-

इस योजना में निर्थारित धनगाश में से 60% इंफास्ट्रकचर डेवलप्मेंट एवं नव निर्माण, 40% धनगाश डिजिटलीकरण, शोध एवं रोजगार को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजनाओं पर व्यय की जायेगी।

 चयनित संस्थाओं में इंफास्ट्रकचर, नये निर्माण, प्रयोगशालाओं का सुदृढ्ीकरण य उच्चीकरण।

कवाओं को संख्या, स्मार्ट कक्षाओं की संख्या, प्रयोगशालाओं, हॉस्टल्स, आवासों की संख्या. में वृद्धि, खेल-कूद की सुविधाओं में वृद्धि। 2. शोध को बढावा देना।

शोध पत्रों का प्रकाशन, एम.टेक./पी.एच.डी. गाइडेड, पेटेन्ट्रस की संख्या। <u>3. अश्तय ऊर्जा के उपोग को बढावा देना।</u> सोलर प्लांट

4. छात्र-छात्राओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना व टेनिंग व प्लेसमेन्ट सेल का सदढीकरण

स्थापित छात्रा-छात्राओं को संख्या अधिकतम/न्यूर्नतम औसत पैकेज, कम्पनीज की संख्या जिन्हों ने छात्रों का चयन किया, छात्र-छात्राओं की संख्या जो कि उच्च शिक्षि में प्रवेश लिया।

<u>5. ई-संसाधनों का विकास</u>

ई-फीस कलेक्शन, ई-टेण्डर नोलामियों में बढ़ोत्तरी, मूल्य का कम होना, गुणवत्ता में सुधार होना।

<u> 6. दिव्यांगों हेत् सुविधाओं का तिकास।</u>

रै<u>ग्प्स/दिव्यांगों हेतु शौचालय व ए</u>स्केलेटरों की संख्या में वृद्धि

	संस्था का नाम इंस्टीटयट ऑफ इं.फि. ट	अवमुक्त की जानी वाली धनराशि	
	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ	रु.25.00 करोड्	
2.	कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,		
1.0	राजयुद्ध आफ टक्नालाजी,	रु.15.00 करोड	

1	and the second of the second second	a Reflected of the set
	Contraction of the state of the	7 10 (e)
	জরুম্যা প্রায় প্রজাইফারা থুকাইা,বু, লারবার।	त्र.10.00 कराव
5.	गजकीय इंजीनियरिंग कालंड, बौंदग	रू.10.00 कराड
7.	राजकीय इंजीनियरिंग कालंज, विजनीर।	रु.10.00 कराड
8,	राजकीय इंजीनियरिंग कालंज, आजमगढु।	5.10.00 करोड् <u>क</u>
9.	राजकीय उंजीनिवरिंग कालज, अम्बेडकर नगर।	रु.10.00 करोड
10.	राजकीय इंजीनियरिंग कालेव, कन्नीव।	रु. 10.00 - करोद
11.	राजकीय इंजीनिवरिंग कालेज, मैनपुर।	रु.10.00 करोड्
12.	राजकीय इंजीनियरिंग कालंज, सोनभद्र।	रु.10.00 करोड
13.	उएप्रo इंस्टोट्यूट ऑफ डिजाइन, ए.के.टी.यू., 'नोएडा।	रु.10.00 क्रुपेड
14.	सैंटर ऑफ एडवांस स्टडीज, ए.के.टी.यू. लखनऊ।	रु.15.00 करोड् करोड्

अन्य तकनीकी विश्वविद्यालय

क्रमोक	विश्वविद्यालय का नाम	अवमुक्त को जानी वाली धनसाँश
1.	मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेकनोलॉजी, गोरखपुर।	रु.15.00 करोड
h.	हरकोर्ट बटलर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, कानपुर।	रु.15.00 करोड

यह योजना तीन वर्षों की होगी, जिसमें कुल रु.200.00 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश की सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिये संस्थाओं को पी.एफ.एम.एस. में पंजीयन कराना होगा और सीधे भुगतान किया जाएगा। सभी खरीद ई-टेण्डर अथवा जो.ई.एम. पोर्टल के गाभ्यम से को जायेगी। सभी अनुरक्षण कार्य ई-टेण्डर के माध्यम से की जायेगी। सभी गये निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निराम लिमिटेड, अंतर प्रदेश आवास विकास निगम लिमिटेड इत्यादि के माध्यम से कम्पटीटिव बिल्डिंग के हारा किया जायेगा।

थित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के ग्राण्ट इन एड के लिये निर्धारित नियमों का अनुपालन करते हुये व्यय किया जायेगा और व्यय हेतु बजट में मैनुअल में निर्धारित इ. शिदांतों का अनुपालन किया जायेगा।

अपरोक्त योजना की धनराशि विश्वविद्यालय के रेगुलेशन, 4.26(II) के अन्तर्गत

and a new ment of signed and an india and the start wat en de vierrieren e en el station el sistematication de services de services a গণনে হা দানে বিদেন নিয়ন সমা বন্দুমান বিস্তাবিদ্যানের কি বিবিধন ও ভাতিত পদ্যাগ্রন वि जाने व उपगल अनमुकन की नायगंध (यहाँ यह अवगर , करानी है कि निरनाविद्यालय यसने में पूर्व यह मंस्थाय ए.कं.टी.पू. लखनऊ से सम्बद्ध सासकीय संस्थायें के रूप में कार्यरत थीं अत: इन संस्थाओं को भूँ प्रज्य प्रवेश, परीक्षा की वचती, से कार्यवार्थ जुलकार्य निह कार्यानार्थ सहायता दिया जाना उचित होगा।)

The Carl State of the State of the

मद संख्या अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर विचार। 17:48:11 1. वित्त समिति के मद संख्या 17:48:10 के सम्बन्ध में शासकीय संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव के प्रभावी क्रियान्वयन हुंतु मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेपित किये गये सुझाव वित्त समिति के अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। इन सुझावों के अनुसार धनराशि का आवेटन तथा अवमुक्त किया जाना शासन से अनुमोदन के उपरान्त किया जाना, प्रस्तायित 官

> इस प्रस्ताव से सम्बन्धित निर्णंग कार्यवृत्त के पूर्व मद 17:48:10 पर प्रस्तुत किया जा चुका है। कुपया तदनुसार ही कांग्रेंबाही की जानी प्रस्तावित है।

> 2. भवन निर्माण समिति की 19वीं बैठक के मद संख्या 19.09 के निर्णयानुसार कुछ कक्षों में सिल्लट ए.सो. निर्माण संस्था के माध्यम से लगाये जाने तथा प्रशासनिक भवन के प्रथम तल पर स्थिति सभागार में पब्लिक एडरेंस सिस्टम लगाये जाने का कार्य निर्माण संस्था के माध्यम से कराये जाने तथा इसका भूगतान विश्वविद्यालय द्वारा सेन्टेज छोड्ते हुये किये जाने का प्रस्ताय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

> स्पितट ए.सी. के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय पूर्व-में आई.ई. टी., लखनऊ के जिस कैम्पस में संचालित था उसमें से जिस ए.सी. की आवश्यकता नहीं है तथा यू.पी.एस.ई.ई. तथा गेस्ट हाउस से निकले पुराने ए.सी. को प्रयुक्त किया जायेगा। भाषिकारी उन्होनित शेष प्रस्ताव अनुमोदित किया गया गया। 🛀 👔 राजकीय इंजीनियरिंग कालेज आजमगढ़ तथा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को आय-व्ययक वर्ष 2017-18 अनुमोदित किया गया।

(भानु प्रताप सिंह) सदस्य-सचिव/वित्त अधिकारी

प्रो0 वित्रव कुमार पाठक) अध्यक्ष/कुलपति

4

English Translation of Highlighted Items

Bhanu Pratap Singh

Dr. A K T U Technical University, U.P.

Finance Officer

Dated: 04/08/17

То

10. Registrar, HBTU, Kanpur

2. Other Technical Institute

S. No.	Name of the University	Approved Grant
2.	Harcourt Butler Technical University, Kanpur	Rs. 15.00 Cr

Grant Letter of Rs. 16.50 Lakhs from AICTE, New Delhi

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

F. No AICTE/RIFD/Hostel for SC-ST/(Pol-1st)/10/2012-13

Dated: 09.11.2019

The Drawing and Disbursing Officer

All India Council for Technical Education Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Sub: Release of Grant-in-Aid under SC/ST Students Hostol Grant Scheme payable during the current financial year 2019-20.

Sit.

9

10

11

I am directed to convey the sanction of the Council for payment of Rs.16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only) being the 3rd & Final Installment during the year 2019-20 under the SC/ST Students Hostel Grant Scheme as Grant-in-Aid for meeting the expenditure for implementing the Scheme as per details given below:

- Name of the Beneficiary Institution (College / Institution)
- 2 Coordinator's
- 3 Title of the Project
- 4 Grant-in-aid Sanctioned
- 5 1st Instaliment Released
- 6 2^{sd} installment Released

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY, NAWABGANJ, KANPUR NAGAR-208002, UTTAR PRADESH

REGISTRAR/PRINCIPAL/DIRECTOR

SC/ST STUDENTS HOSTEL GRANT

Rs.2,00,00,000/- (RUPEES TWO CRORE ONLY)

Rs 1,00,00,000/- (RUPEES ONE CRORE ONLY)

Rs.77,20,000/-(II°' instalment being 40% of sanctioned amount) (Rs.80,00,000/- less interest of Rs.2,80,000/-)

7 34 & Final Installment to be released ______

Rs.16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only) (3rd Installment being 10% of sanctioned amount i.e. Rs.20,00,000/- less interest of Rs.3,50,000/-)

8. The sanctioned grant-in-aid is debitable to the major Head, SC/ST Students Hostel Grant under Plan and is valid for payment during the financial year 2019-20 on EAT module of PFMS portal.

The grant-in-aid of the grant shall be drawn by the Drawing and Disbursing Officer (DDO), All India Council for Technical Education, New Delhi on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to the account of Registrar/Director/Principal through e-Payment System.

The date of release of the grant by AICTE shall be taken as the date of commencement of the project. The Principal/Director/Registrar shall intimate about the receipt of the grant to AICTE.

- Each project sanctioned by AICTE is assigned a specific Ref. No. given. All correspondences related to the project must contain this number along with year of sanction of the project; failing which correspondence will not be entertained.
- 12 Correspondence will not be enter traced.
 12 The accounts of the grantee which are trable to be accided by the Council or Comptroller and Audited General of India or by any Officer designated for the purpose.
- The institute/College shall not charge any overheads on this project and will provide all the administrative support for completion of the project.

Farmia. W. वेश्विव अस्तिः

Contd....2

Scanned by CamScanner

Grant Letter of Rs. 86.75 Lakhs from State Government under RUSA

संख्या:-02/2021/535/सोलठ-1-2021-09(जनट-3)/2018

्रोएक

सुनील कुमार वॉधरी, विशेष संधिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव, हरकोर्ट घटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर। प्राविधिक शिक्षा अनुमारा-1 प्राविधिक शिक्षा अनुमारा-1 विषय- हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुद्देकिरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गल धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय. हरकोर्ट बदलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुद्ददीकरणप्रविस्तार की परियोजना हेतु. रुसा योजना के अंतर्गत परियोजना की अनुमोदित लागत रूप 55.00 करोड़ (केन्द्रांश रूप) 33.00 रुसा योजना के अंतर्गत परियोजना की अनुमोदित लागत रूप 55.00 करोड़ (केन्द्रांश रूप) 33.00 करोड़ व राज्यांश रूप 22.00 करोड़) के सापेक्ष अब तक कुल रूप 2663.25 लाख की धनराशि निम्न

रण के अनुसा	হ দনমন কা জ	a day 6.	कन्द्रांश			राज्याम	15
बाउस नाहे च	कुल जिसेल		83	- 81 -	47	83	31
दिसाक	धन्नराशि	.47	00.		520.00	130,00	in.
3.01.2017	650:00	-			50 · · · ·	*/	-
9.03.2018	1000.00-	1000.00					-
31.03.2018	340.00		340.00	-			-
30.03.2019	310.00	-248.00	82.00		332.50		-
28.01,2020	363,25	30.75				130.00	.0.0
28.01,4020 चौग	2663.25	1278.75	402.00	0.00	852.50	1.100.00	

2. सूच्य हे कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा. अपने पत्रांक-2116/एसपीझे/रूसा/79(यू)/15-16 दिलांक 29.01.2021 द्वारा मदन मोहन महलंवीय प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सुद्दिकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गल राज्यांश की अवशेष धनराशि क0 रूप 86.75 लाख अवसुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है. ताकि केन्द्रांश की

е,

킔

7

अगली किरेस प्राप्त किया जा सक। 3. इस सम्बंध में मुझे यह कड़ने का निदेश हुई है कि उपनिदेशक, राज्य परियोजना जिदेशालय, शष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये गये अनुरोध के कम में सम्यक दियारोपरान्त निदेशालय, शष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा किये गये अनुरोध के कम में सम्यक दियारोपरान्त त्री राज्यपाल इस्कोर्ट इटलर प्राविधिक विश्वविदयालय, कानपुर के सुद्दीकरणा विस्तार की परियोजना हेतु राज्यांश की अवशेष कुल धनराशि रू0 86.75भ्लाख (रू0 छियाली लाख पधहल्ता हजार मात्र) की

निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-* (1) प्रक्रगत निर्माण कार्य की विशिष्टियाँ, "मानक व गुणवन्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी

विश्वविद्यालय की होगी।

66 RO CAA-121 22/02/21 यह शासनादेश इलेक्ट्राविकली जारी किन् गर्भ हे. अन दर्भ के लिखारा की 2- इस अस्त्रीगहेश के क्वांचिकल के आहर brei//shasanadesbuerraryin से सत्यापित की अन्स्रकती है। Chainter BERR and the

- (2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्रविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया आयेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र कुलसचिव, विश्वविद्यालय द्वारा शासम को उपसब्ध
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही हैं उसका स्वय प्रत्येक दश्य में उसी
- कायेंसिद में किया आयेगा। (4) ग्रायोजना के आगणज में वर्णित् लेखर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम
- विभाग को किया जायेगा। /(5) स्वीकृत धमराधि बैंक खाला/यो0एसDए0 में नहीं रखी जायेगी।
 - (6) कार्यदायी संस्था प्रचयमन् निर्माण कार्य में व्यय वित्त समिति द्वारा अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिधिचत करेंगे।
 - (7) प्रायोजना से सम्बंधित अन्य विभागे से समस्त बसीयरेंस प्राप्त के पश्चात है जिसीयां कार्य प्रारम्भ कराया जायेगां।
 - अवमुक्त धतराशि में से जिमीण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकेता के लिए आवश्यक धलराही वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रविधिक विध्वविद्योलय, कानपुर द्वास कोषागार (8) से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेथी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग रेखने के उपसहत अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषायार से आहरित करके दी आयेगी।
 - (9) अनुदान संख्या-83 व 81 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0मी0/टी0एस0मी0 हेनु मोजना आयोग, धारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वात
 - निर्धारित मानक दिशा-निर्देश के अतुरुप किया जायेगा। (10) प्रायोजना का जिमाण कहर्य ए0आई0सी0टी0ई0 के सानकों के अनुसार कराये जाने का
 - उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाका होगा।
 - (11) उपरोक्त धनराशि का प्रयोग दिसांक 31.03.2021 तक व्यय करते हुए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मह्य्यम से कर्ड्यदायों संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को जुपलब्ध कराया जाना सुनिधिवत करेंगे।
 - (12) स्थीकृत धनराहित का उपयोग वित्तीय धर्ष में ने करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आहिट आपतियां एवं किसी भी प्रका की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव,

विश्वविद्यालय उत्तरदायी होये। स्वीकृत धनराशि कर 86.75 ताख में से रूप 4.25 लोख की रूप वितीय वर्ष 2020-21 के आय-ह्यायक के अनुदान सं0-83 के अंसगैत लेखाशीर्थक-4202-शिक्षा)-खेलक्द, कला तथा संस्कृति पर पुंजीगत परिस्यम-02-लकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुरहीकरण-24-वृहेद निर्माण कार्य तथा रू0 82.50 लाख का ट्यय वितीय चर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के मद अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्थक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कल तथा संस्कृति पर पूंजीगल परिवयय-02-तकनीकी शिक्षा-796-अनुसूचित जल जातियां के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना धर्व सुददोकरण-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला आरोगा।

 यह शासनांदेश इलेक्य्रानिकरफ़े उगरी किया गया है. अतः इस पर हस्तरक्षर की आवश्यकता नहीं है । 2- इस शासनम्देश की प्रभाणिकला वेष संस्ट <u>1919;//shasanadesh.us.eoutr</u> से सल्यापित की उस सकली हैं,। 3. यह आदेश जित विभग के शासकादेश संख्या-1/2020/वी-1-149/दस-2020-231/2020 दिलांक 24.03.2020, संख्या-11/2020/वी-1-686/दस-2020-231/2020 दिलांक 03.12.2020 तथा संख्या-12/2020/वी-1-706/दस-2020-231/2020 दिलांक 09.12.2020 में निहित प्राविधानों के अंतर्थत निर्यत किथ जा रहे हैं।

(सुनीसं कुमार घोधरी) হিংগৈ মায়িব

संख्याः-02/2021/335/सोलह-1-2021-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- अवर संधिद्ध, उच्चतर शिक्षा विभाग, मालव संसाधन विकास मंत्रात्मय, भारत भारतगर, शास्त्री अवन, नई दिल्ली।
- (2) उप मिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (श्रमा), राज्य परियोजना निदेशालय, 30प्र01

(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराजी

(4) महांन्नेखाकार (आखिट), 30प्र0, प्रयागराजन)

(5) जिदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, .30प्र0, प्रयागराजः

(6) जिलाधिकारी, कानपुर।

(7) भुख्य/वरिष्ठ कोष्यधिक्षप्री, कानपुर ।

(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षालविदेशालय, कानपुर।

(9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प0 शासन।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अन्मांग-1, 3040 शासन।

(11) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 3090 शासन

(12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 3090 शासने।

(13) নার্ড কাইল।

आजा से,

(কুল্লহীণ বাৰ্) उप सचिव

Grant Letter of Rs. 196.00 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या:11/2023/580/सोसड-1-2021-9(बजट-7)/2013

प्रेष्क,

ন্তুনীন কুনাर ঘাঁधरी, বিशेष **মখিব**, उत्तर प्रदेश शासन।

r .

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कालपुरा

प्राविषिक सिमेश अनुसाग-1

स्वनङ: दिनांक भी आर्थ. 2021

विषय- इरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्वालय, कालपुर के बाउण्ड्रीयाल के जिल्लाम हेतु धनराशि

अवसुक्त किये जाने के संबंध में।

मसंदय.

उपर्युक्त विषयक अपने पश्चेक-1114/मेंट/21 दिनांक 23.02.2031 का संदर्भ शहण करने का कप्ट करें. जिसके माध्यम से इरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविदय क्य, कानपुर के घाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जुपेवत्ता प्रमाण पत्र तथा परियोजना के कार्यों की अदयतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए अवशेष्य प्रय को पूर्ण कराने हेतु रूध 196.00 ताख की धनराशि अवशेष धनराशि निर्गत करने का अनुरोग कि दीया है।

2. शासनादेश संख्या 19/सोलह-1-2020- ताजनर 12011 दिनांक 24.03.2020 ट्वारा हरकोर्ट बटलर आदिधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बारण्युतम्ब के निर्माण हेतु रू0 392.51 साख(जी॰एस॰टी॰ सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीर स्वयुति प्रदान करते हुए प्रयम किश्त के रूप में रू0 196.51 लाख की धनराशि लिगत की गयी है गया रू0 196.00 लाख की धनराशि निर्गत किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझेम्पह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त इरकोर्ट बटनर प्राविधिक विश्वविद्याहय, कॉनपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु परियोजना की अवशेष धनराशि #0 196.00 साख (क) एक करोड़ छियानवे लाख मात्र) निर्मत करने की श्री राज्यपाल निम्ललिखित शर्तों के अधीन स्वेचमत घटन करते है-

- (1) एकोएक निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवता की जिल्मोदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचित, विश्वविद्यालय की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन दवारा निर्मत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद से किया आयेगा।
- (4) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत विल्तीय नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

Claimers Matter

15/5/21/21/ 10/5/21

यह शासलादेश इसेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अस: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकला सही है।
 उस शासलादेश की प्रवाणिकल के साइट http://www.adesh.uc.or.in. से सल्यापित की जा सकती है।

- (5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्धालय, कालपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं हरतानान्तरण प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (6) अवमुक्त धनराशि में से लिमांण कार्य हेतु दो दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि विश्वविद्यालय/संस्थान के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धलराशि के 80 प्रतिशत का उपभौग करने के उपरान्स अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (7) प्रश्लगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं राखेः जायेगी।
- (8) अनुवास संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराश्चि का व्युवाउपमोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा रेक्य सरकार द्वारा निर्धापित मानकदिशा-निर्देशों के अनुरूप किया आयेगा।
- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्सर्गत 🜲 पूर्ण कराया आयेगा. भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा निगमानुसार समस्त आयायक वैधालन अनापत्तियां एवं पर्यावर्णीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही जिमाण कार्य परमेप किया आयेगा।
- (11) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की विद्यावृति (इप्लीकेसी) को रॉकने की हब्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी स्वेत्यक कार्या यह सुनिष्ठिवत किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के स्वीतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान से किसी अल्य खेजना/कार्यक्रम में आ किसी किया जाना प्रस्तावित है।
- (12) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेक सेंस की धनराशि का मुगतान नियमानुसार अम विभाग को किया आयेगा।
- (13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानी विकृत्र प्राधिकरण/सक्षम लोकल अयॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (14) प्रायोजना में परसावित कार्यों की मलाओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिधिचृत किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ क्रेलसचिठ, विश्वविद्यालय का होगा।
- (15) पुष्योजना में उच्च विधिष्टियां का प्रातिधान/इस्तेमाल नहीं किया आयेगा।
- (16) कार्यद्वा संस्था द्वारा जामणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- रि स्वीकृत धनसांशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्तियाँ एवं किसी भी प्रकर की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोई बटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कानपुरं उत्तरदायी होंगे।

चालू चित्तीय वर्ष 202-21 में स्वीकृत की ज़ा रही उक्त धनगरी रूठ 196.00 लाख से से रू0 2. 154.73 लाख का दयय अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-लकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर औद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं स्0 81.27 लाख का टयय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगरे परिव्यय-02-

यह शासमादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गथा है, अत: इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकता नहीं है।

तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के सिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कामपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के लामे डाला जायेगा।

 यह आदेश चिंत (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिलांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिलांक 20.01.2021 में सिहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संख्या:-11/2021/580/सोनह-1-2021-9(बजट-7)/2011 तद्वविनाक-

प्रतिलिपि निम्नोशिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित 🖉

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराजा
- (2) महालेखाकार, आहिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराजा

- (3) जिलाधिकारी, कालपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोलाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशकः स्थानीय लेखा परिक्षा, 3090 प्रयागराजा
- (5) प्रबन्ध निदेशक, 3090 आवास एवं विकास परिष निवन्ता
- (6) अपर परियोजना प्रवन्धक, 30प्र0 आवास एवं विपार परिषद, निर्माण इकाई-02, कानपुर।
- (7) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उर्थक कानपुर।
- (8) विंत (व्यय नियंवण) अनुमाग-11/विष (आरा-पायक) अनुभाग-1, 3090 शासन।
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), सामग्र भासना
- (10) प्राविधिक शिक्षा अनुसाय-3 राजने तासन।
- (11) गाई फाइल।

आंजा से,

(सुनील कुमार

(कुलंदीप बाब्) उप सचिवा Grant Letter of Rs.109 .00 Lakhs from State Government, U.P.

संखर्काः 10/2021/581/सोसा-1-2021-9(बजट-6)/2016

प्रेषक.

सुनील कुमार घौधरी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासनं।

सेवा में,

कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक दिश्वविद्यालय, कालपुर)

प्राविधिक सिक्षा अनुसान-1

Mils

लखनऊ: दिनोक 09.मर्च. 2021

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कुलपति आवास/मेन र सुर्वालय के निर्माण

हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रोक 1113/मेंट/21 दिनांक 23.02.2031 का संदर्भ यहण करने का कष्ट करें, जिसके साध्यम से इरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविदयलय, कारुपुर में कुलपति आवास/केम्प कार्यालय के निर्माण हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोगता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र लया परियोजना के कार्यों की अदयतन फोटोग्राफ्स उपलब्ध करने हुए अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रू0 109.05 लाख की धनराशि निर्गत करने का अनुर्गेय विद्या गया है।

2. शासनादेश संख्या-59/2019/2504/सोक्ट 142/19-9(बजट-6)/2016 दिलांक 07.08.2019 द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कार्युज्य में कुलपति आवास/केम्प कर्यालय के निर्माण हेतु रू0 218.05 लाख+(जी॰एस॰टी॰ वास्तविवना के नाधार पर नियमानुसार देय) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रयान करते हुए प्रयुद्ध निरंत के रूप में रू0 109.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी हे तथा रू0 109.05 लाख के घन प्रान किये जाने हेतु अवशेष है।

3. इस सम्बंध में मुझे पर कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विधारोपरान्त इरकोर्ट धटलर प्रविधिक विश्वविद्यालय, कॉन्पुर में कुलपति आवास/केम्प कार्यालय के निर्माण हेतु परियोजना की अवशेष धनराभि स0 109.05 लाख (रू एक करोड़ जो लाख पांच हजार मात्र) निर्गत करने की औ राज्यपाल कि निर्माल शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रथमवान निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व मुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायों संस्था। कुमसचित, विश्वविंद्यालय की होगी।

(2) स्वीकृत धनसंधि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्रविधाओं एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/भद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

लेबर सेस की धनराशि का झगतान नियमान्सार श्रम दिआग को किया जायेगा।

कार्यदायी संस्था प्रश्लगत निर्माण कार्य में पूर्व के शासमादेशों में उल्लिसित शर्ती/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

🖅 यहे शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया राया है, जेते हिम/वर हस्ताक्षर की आवश्यकला नहीं है ।

- (6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्रविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र/पी0सी0आर0 समयान्तर्थत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिधिवत करेगी।
- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकला के लिये आवश्यक धनराशि जनपद स्तर के आहरण खितरण अधिकारी दवारा कोषामार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था दवारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपसोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनगत्ति देंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (9) अनुदाल संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि ता व्यव/उपमोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य नेत्रकार द्वारा निर्धारित मालक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को अनुमोदित लागत के अन्तर्भत ही पूर्ण कराया जायेगा. अविष्य में कोई भी पुलरीक्षण स्थीकार नहीं किया जायेगा।
- (11) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावर्णीय किलयर्रस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कर्व प्रारम्भ किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विराद्या (डूप्लीकेसी) को रोकने की हच्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिष्टियत किया आवेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आप प्रति किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) पायोजना में प्रस्तावित जीवप्रसदीव की वास्तविक धनगरी जियमानुसार देख होगी।
- (14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रयुक्त करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकृत्स प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (15) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को ययावल मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (16) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे के कोई बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अल्य उच्च विशिष्यों का इस्तेमाल करना आदि एक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (17) कीर्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही संदेज चार्ज लिया जंखेंगा।
- (18) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरुप होने वाली आहिट आपतियां एवं किसी भी प्रकर की वित्तीय अनियमितता के लिए कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर उत्तरदायी होंगे।

2. चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि रूठ 109.05 लाख में से रूठ 85.27 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिवयय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्धोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-बृहत् निर्माण कार्य एवं रूठ 23.78 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली लारी किया गया है. अतः इस पर इल्लाकर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनव्देश की प्रमाणिकला वेब संकिट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से सत्यापित की जा सकती ≹ ।

परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियां के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के लामे डाला जायेथा।

 यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय लाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020/231/2020 दिनांक 24.03.2020 व शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021/231/2020 दिनांक 20.01.2021 में सिहित प्रविधानों के अंतर्गत निर्मत किये जा रहे हैं।

संस्थाः-10/2021/581/सोलह-1-2021-9(बजट-8)/2016 तददिनाक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेलु प्रेमिल

- महालेखाकार, उतर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) सहालेखाकार, आष्टिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिसाधिकारी, कानपुर।
- (4) क्षेरिषठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रथम्ध निदेशक, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद तेला
- (6) अपर परियोजना प्रबन्धक, 30प्र0 आवास एवं विवास परिषद, निर्माण इकाई-20, कानपुर।
- (7) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 3000, कॉनपुर।
- (8) वित (थ्यय नियंत्रण) अनुमाग-११/वित (भार जायक) अनुमाग-१, ३०४० शासना
- (9) समाज कल्याण (बजट प्रकोण्ड), उध्यक सावन)
- (10) आदिधिक शिक्षा अनुभाग-3, उठ्ये (ग्रेमन)
- (11) শার্ষ্ঠ কান্থন।

् आज्ञा से,

(सुनीत केम्स

(कुलदीप सार्) उप सरिवा

English Translation of Highlighted items

No.-02/2021/335/16-1-2021-9(Budget-3)/2018

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 11 Feb, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for development and expansion under RUSA

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the Grant of Amount **Rs. 86.75 Lakhs** (Eighty six Lakhs and seventy five thousands only) as state share from under RUSA....

English Translation of Highlighted items

No.-11/2021/580/16-1-2021-9(Budget-7)/2011

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 09 march, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Boundary Wall

3. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Amount **Rs. 196.00 Lakhs** (One Crore Ninety Six Lakhs only) to to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Boundary Wall on various condition as given below

English Translation of Highlighted items

No.-10/2021/581/16-1-2021-9(Budget-6)/2016

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 09 march, 2021

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction Vice-Chancellor House/ camp office

2. With Reference to Government order No.-59/2019/2505/16-1-2019-9(Budget-6)2016 dated 07.08.2019, Amount **Rs. 109.00** lakhs as a Instalment

Rs. 410 Lakhs from AKTU Grant /DDQIP 68 69 Harcourt Butler Technical University, Kanpur Nawabganj Kanpur State Name : Uttar Pradesh, Code : 09 E-Mail : fc@hbtu.ac.in **Payment Voucher** No TENte Multiperposedall/In2 stallment /2020-21 Dated : 10-Dec-2020 Amount Account : EE CD-20 UP Awas Vikas Parishad Kanpur 3,93,60,000.00 HBTU Multipurpose Hall WC 3,93,60,000.00 Dr OST TDS @2% 8,20,000.00 T D S PAYABLE Income Tax @2% 8,20,000.00 Hirough : EHE Bank 200x104000017250[Verified 17-18/18-19 the Account of : flieling amount paid New Construction of Multipurpose Hall WC against demand letter no.-993/D-49/9 dt-26/08/2020 vide ch. no.-024801,GST 10/5 ch no -024802 and IT TDS ch. no.-024803 dt -10/12/2020 Amunus (in words) : Hill Four Crore Ten Lakh Only ₹ 4,10,00,000,00 sum (in) Keeekke 1

Scanned by CamScanner

Grant Letter of Rs. 99.56 Lakhs from State Government, U.P.

संख्याः-2163/सोलह-1-2018-9(बज्राद-11)/2011

झ॰ सरोज कुमार,

विशेष संचित्

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रेषक,

कुलसचिव,

हरकोर्ट ब्रह्सर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक सिता अज्ञमाग-1

लयनङः दिन क्र है, जगस्त. 2019

विषय- हरकोर्ट बटसर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड सम्प्रयास के निर्माण हेतु धनरात्रि

अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-648/मॅटेन/19 दिनाक 21.023019 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 सेड छमावेग्स के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेक्ति पुलरीक्षित आगणन रू 1055.20 लाख जिल्लेय कराते हुए अवशेष धनराशि अवनुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

 सूच्य है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के शासनादेश संख्या-3493/सोलह-1-2014-9(बजट-11)/2011 दिलांक 28.11.2014 द्वारा हुन्योगित लागत रू 880.25 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चूकी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह केने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पूर्व पुनरीक्षित लागत र 850 टव लाख के स्थान पर रू 1031.38 लाख+(जी॰एस॰टी॰ दास्लविकता के आधार पर नियसानुषपर केने की लागत को पुन: पुनरीक्षित किया गया है, अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हरकोट बटला प्रीविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 400 बेडेड छात्रादास के निर्माण हेतु रू 1031.38 लाख (रूपय दर्श करोड़ एक्लीस लाख अइतीज़ हजार मांड)+(जी॰एस॰टी॰ वास्तविकता के आधार पर नियमानसोर दय) की प्रथासकीय एवं विस्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अंतर की अवशेष धनराशिक हो 1.1 वि लाख में से 5 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए अनुदान संख्या-47 में से रू 79.66 लाख एवं जीनुकान सेख्या-83 में से रू 19.90 लाख अर्थात कुल रू 99.56 लाख (रू निन्यालवे लाख छण्पन हजार केक) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अर्थान स्वीकृति प्रदान करते हुः

- प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एव के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। '

(3) प्रश्नमत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी 176 Ref (New)- Upaniz/मद में किया जायेगा।

लेवर सेंस की भवराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया आयेगा।

भार भारतगढेर हरेपर्यानिकामी जारी किया गया है, अ20इस पर हरताक्षर की आवश्यकता कही है । हर प्रान्तगढेर सिर्मकोणिकता देव समाद <u>आयः//masenadash.up.ikt.br</u> से सत्याग्पित की जा सकती है ।

- (5) कार्यदायी संस्था प्रश्नगत निर्माण कार्य से ध्यय वित समिति द्वारा अंकित शर्ता/निर्देशों का अनुपालन सुनिष्टिचत करेगी।
- (6) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्रविधिक विश्टविद्यालय, कान्पुर के साध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण भेत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- अवमुक्त धन्याशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकरा के लिये आवश्यक (7) – धनराशि, कुलसचिव/वित नियञ्चक, हरकोर्ट बटलर प्रविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी सभी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 मानके लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी अये।
- (8) प्रश्नमत धनराशि बैंक खाता/पी0रस0ए0 में नहीं शक्षी जायेगी।
- (9) अनुदान सं**ख**्या-83 के अल्लगंत स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू**ग व्यथ/उपभोग एस0भी0एस0वी0/टी0एस0वी0 हेतु योजना आयोध, आरत सरकार तथा राज्ये सरकार द्वारा निर्धारेत भानकदिशा-निर्देशों के अनुरूप किया अर्चना।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जायेगा, अविषय में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (11) कर्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवृध्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावर्णीय
- बिलेयरेंस संक्षम स्तर से प्राप्त करके ही जिसांण कार्य पुरस्स किया जायेगा। (12) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य के दुष्टिरावृत्ति (इप्लीकेसी) को रोकने की हच्छि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थान दवार। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य थोजना/कृषिद्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आपकादित किया जला प्रस्तावित है।
- (23) प्रश्नजन धनराशि का आहस्ती तुल्काल आवश्यकता होने पर ही कोषाशार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी केन्नपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वासी धनराशियों की जनेकी के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंग्रीत की जाये। ऐसे मामलों में विमागाध्या स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
- (14) प्रायोजना में प्रस्थावित जी॰एस॰टी॰ की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (15) प्रायोजनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकलानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण्डशाम लोकल अयोरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (1 र्र्र्सियोजना में प्रस्तावित कार्यों की मानाओं को यथावत मानते हुए मार दरों का परीक्षण किया गैक है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्थाः' कुलसचिव, विश्वविद्यालय का होगा।
- (16) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियां एवं कार्य प्राविधानां में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्यिं का इस्तेमाल करना अदि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया अध्येगा।
- (17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुसोदित सीमा तक ही सँटेज चार्ज लिया जायेगा।

[।] यह शामनादेश इत्रेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. मूल इम घर हम्साक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस धरमनादेश की प्रस्थणिकता वेश साइट <u>http://shasaysdesh.up.nc.n</u> से सत्यापित की जा सकसी है ।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू 79.66 लाख पर होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेऊ तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रू 19.90 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौदयोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य सद के नामे डाला जायेगा।

 यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-693/दस-2019 दिनांक 31 जुलाई 2019 में प्राप्त उनकी सहम्प्रति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या:-2163/सोलइ-1-2019-9(बजट-11)/2011 तद्विलांक-

प्रतिलिपि निस्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्युवारी हेतु प्रमितः-

- महालेखाकार, उतर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महण्लेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज्य
- (3) जिलाधिकारी, कालपूर1

6

- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) प्रसन्ध निदेशक, 30प0 आवास एवं प्रिकेश भाषत. लखनऊ।
- (6) अधर परियोजना प्रबन्धक, 30प0 अगरे एवं विकास परिषद, लिर्माण इकाई-20, कामपुर।
- (7) विञ्च नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा जिसे कालय, 30प्र0, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुमार् गवित्त (आय-व्ययक) अनुमाग-1, 30प्र0 शासन।
- (9) समाज कल्याप (बनटे प्रकोषठ), 30प्र0 शासन।
- (10) সার্টিযিক থিয়া খানুমান-3, 30মD शासन।
- (11) गाउं फाइल्]

आज्ञा से.

कुमार)

(अवध किशोर) उप सचिव।

3 कह शासन्द्रिश इलेक्ट्र निकली आगे किया गया है, अतः इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकता लही है ।

2- इ.स. श्वामनादेश की प्रसाणिकता देव साहर http://charabadust.us.ais.is. A मार्जापित की जा प्रकार है

Grant Letter of Rs. 109.00 Lakhs from State Government, U.P.

	3	The second se	See 2 Land	1.8.9.
4 V-				
	आव सरगण बुग्मास			
	जिन्नेय २ चिक	A.		
	उता प्रदेश कामन।			
<u>स</u> ना	में.			
	कुलसचिव,			
	हरकोर्ट शहलरा प्राविधिक वि	्र स्वित्यालय		100
	स्वलपुरः	Contraction of the second s		18
	-		लयनकः ।हनाँकः कि	Aratan State
	छिक शिक्ष भन्नधग-।			
ं देवा	व- हरकोई भटलर प्राविधिक वि	वेश्वविद्यालय, स्वलपुर म्	कुलमास आवास/करम प्राया	রবা ক ালস্বন্ধা
	हेल यजराशि अधनुषस विवये	जाते के संबंध म	S	
्यहोर	ar IN		100	
	उपयुंक्त विषयक आपकेः	THE 194/00 20. 18	Parter 11/06/2018 2115.	401/20074000
ai De	गत मांग/2018 दिसांक 30 10	ana ma materia asolati	CI140 Provint C2 P1 2010	ar miret ar
-1-2314	The MINISTER SUITE IGNING SUITE	2010 04 4319-21304	whether whether with the	Charles and
	यह कहने ज निदेश हुआ है	Tay ereday to detroit	A Press and a service of the service	are and Groups
रन् झा	पुर में कुलपति आवास/केम्मा	रत्यालय के लि जिन्द्रम	and the state of the state	er nen geben
- झारप	र दवारा देपिल आगणन श	218.05 85 34 34 3921	ः वाक्तावकता मः अधार प	e adecesiete
हम)	की प्रशासकीय एक जिल्हीय म	क्षेत्रात प्रसन कर छ हुए प्र	भम उक्तरत क रूपम अनुदान	1 81341242 H
3E 3E	अन्यता साम पत जेकताल जा	$1001-248$ 0 0 4 \pm 22.00 (THE SHIE NO. 6 101.00	1 641-2 (+ V=1
,कारोड	ा माँ लंग्रज मन्द्र) धनराशि की ।	त्राक्तालास्तुम् सः अधाः	न स्वाकृत्त पदान करणे रेर-	
	 शश्चननः निकाण कार्य प 	स्तर्भवशाण्डया सम्बद्ध व	मुपावला जो दिप्रकाउर क	CERP 624-0
1 1 -	हरूसचिव, हिश्वविद्यालय			
1 1 1	(2) स्वीकृत सनराशि कर व्य	य हस्तपुस्तिक के खण्ड	-5 জানা-1 জ মালন 369 গ	एच के सुनरत
	प्राविधानी रहे सेमय सम	य पर शासने द्वारा जिमेत	शासनावेशों के उनुरूप किया	इंग्लीबार्
1	(3) प्रश्नगढ प्रमेशी जिस	জার্থাসের মঁ মধীকৃলি কী ত	त रही है उसका व्यस्त प्रत्येव	स दशा में इसे*
	कार्यास्ट में किंवा आधंग	11		
4.)	(4) सेवेग असे की धनराशि व	व अव्यताल लिखमान्यतार अव	न विभाग को अन्य आयंगा।	
TA/			वैत्त समिति द्वारा अंकित	शर्तांगनिदेशः हा
1	^{क्} = अल्पाधन स्कित्तित स्वरं	afr:1 -		
SP	(6) ज़लसधिव, हरकोटे बटल	र प्रतिविधिक विश्वविद्याल	व, कामयुर के माठ्यात्र से व	कर्षहारी संस्था
~			व्य कराया जाना सुतिधिष्ठत	
X			माह की आव वकता के	
Bad			पालिग्रिक देश विर प्रलय,	
TEL	abara a a united as	कार्यतायी : ा को उपत	वह्य कार्य्य उप्य में। कार्यदाय	यो शस्था इंद्रान
	in a prove of			4
ethar 1	11 INVIVE	-		
1-2-171	Will it -			
MM	- dt		Designed and A	
4510	 बा शामेलादेश इलेक्ट्रातिमाली ज 	ि विद्यत्व गया हे ३ ≓ इनर पर	राज्यास्य की अवश्यकाता महते हैं । जन्म के जन्म की जन्म की	n.t
N VI - 1 -	2- इस गाहलादश के प्रमराणकरण र	an where micht warman storegoring	nicin से माथाउँप्रान के ज सकते	1
1	612.3			
	A / N 11 1			

9

arc -

3416-7

1- यह वासनाई के इन्द्रेन्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत्र इस पर इंग्लाक्षर की आवश्यकता नहीं हे ।

24

- 2- इस श्वमनादेश की प्रमाणिकता वेब स्पईट <u>Mage/Jeasonadeen up.nic.m</u> के सनेप्रापित की उत सकती 🐩 ।
- मेमाफ काये मद के नाम उल्हे उन्हेगाः। . .

(२२२) वर्टवेदायी प्ररेम्ध्य दुवारा आयणन में अलुन देत सीमा तक ही संटेज राजे निया कार्यगा।
२. स्वर्डक्ते चनराधि में से रू 87.00 लख नर अने दाला व्यद चासू विलेख दर्ष 2019-30 ३: अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाधीर्षक-4292-सिका खेलकूद, कला तथा तंस्वृत्ती २र पूंजीगत परिच्छा-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कार्यना खेलकूद, कला तथा तंस्वृत्ती २र पूंजीगत परिच्छा-102-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कार्यना खेलकूद, कला तथा तंस्वृत्ती २र पूंजीगत परिच्छा-102-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कार्यना खेलकूद, कला तथा तंस्वृत्ती २र पूंजीगत परिच्छा-102-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कार्यना खेलकूद, कला तथा संत्यप्रत्न 18-क्रानीई बदलर प्रौदयानिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् जिम्नेण कार्य रघं - 12.00 लंका पर ठोजे राजा व्यय अलुदान संख्या की के लेखाधीर्थक-4202-विक्रिय, खेलकूद, कला अल्कृति पर पूंजीगत परिच्या-02-तकनीकी शिज्य 789-अनुत्त्यित जातियां के लिए विशेष घटक छाजन-14-इरकोरें अटलर प्राद्याविद्यालय फानपुर-24-कृत जिलाण कार्य कद के नामे जाल उग्या:

(17) प्रायोजना में प्रस्तायित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधाओं में कोई उत्तरखराज परिवर्सन जैने तथ कार्य भ्रम्नेन, स्वयं के आकार में वृद्धि एवं अल्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना आदि "तम स्वर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किंगे विशा नहीं किया जावेगा।

संस्था द्वांग स्थानीय विकास प्राधिकरण्णनाम लोकल अथोरिटी ते भ्वीकृत कराया आग्रेमण (16) प्रायोजना में प्रस्तायित कीर्य की मावाओं भी यथाधत साथते हुए नाज रहे का परिक्षण केंद्रा

संस्था/ कुनुमाहिक विद्वविदयालय का होगाः

धनराशियां को जनपटों के आहरण एवं थिसपा अधिकारी को अवसेटित की आदेः उसे सामगो भी विश्वायाध्यक्ष स्तर पर एकमुद्दा धनकरी का आहरण ज किया लाएं। (14) प्रायोजना में प्रस्ताधीन जीव्हरूदी की प्रस्तविक धनराशि लियमानुसर देव होगे। (15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रस्तुओं करने से पूर्व मानचित्रों की आदर्थ्यकराजुरूप कार्यद्वारु

ग्रया है। मात्राओं को निमाल के समय सुलित्चित किये उठने का घटा ालरदायित्व कार्यदार्थ

- कार्य भूवे में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अन्तर्गत त हो स्वीकृत्य है और मे ही वर्तसान से किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आवजातित किया जाना प्रत्त्ववित है। (13) इंश्लेमके धनस्वीके का आहरण तत्काल अवश्वकता होते पर ही कोवगा। से किया साथे। क्षेत्र आहरण वर्ष विदरण अधिकारी जनमें - 16 पर है, ती जनमद स्तर, पा द्यां भी साथे धला
- (13) कायराया स्मर्थ द्वारा तथामानुसार रामरत आवश्यक विद्यालिक अन-तीमा एवं भयावृत्री व िनगरीम नक्षम स्मर्थ से वापन वरके ही निर्माण कार्य पायाझ किया जातना। (24) नथीयना क अन्सर्यान प्रस्तार्थवत क्षांचे की द्वित्यवृत्ति (हुप्पत्रीकेस) के स्वम्ने की हर्वेह (न याथावाना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी रुख्यान श्वांचा यह सुष्टिविन्द किया जायरात के यह
- भविषय में बेरेई औं पुन्दरिक्षण मर्शकार मही किया अयेगा। (1)) कार्यटर्ग्या स्मेन्ट्र देवन्त्र नियमानुसार रामन्त्र आवश्यक विद्यालिक अन-प्रतिष्ठ एवं म्याद्रार्ग्रव
- जिधौरित सामक/दिशा-सिर्दशों के अनुरूप निया जागता। (10) जायेदायी प्रियम दुवाए परियोजना जो भनुनोटित लागत के अन्तरे न - पूर्ण क्रुदावा जादेतन जीवन के जीव की बन्दीप्रजन जीवन न नि
- (9) अनुराध सरस्य: 83 के अन्तर्यन विद्येश्वर का 20 शत शत का व्याप्रहा हो। एम्स्ट्रेसीटएसिटकीटिएसिटकेट हेतु थोडेना आर्थन अवल संगठत ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त प्रायंग्रे स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ता राज्य श्राव्य स्वाप्त स् य स्वाप्त स् य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व
- (6) प्रथलभात विकरतीको बेंहर सालगणी0सला, यह भे अन्द्री राजी स्वतातां :
- ुनिः तीविध्यक धाराधाई। काशावार् के भू घेई करने ही हाल

ाः तः तक्षतः सः यस्य सः स्वतितः सः सः वर्षतः तः सः तः । सःहसः 11 9/251/2010 दिस्रोंक 22.00.2019 में स्विहित के भार्म 'त अंतरहत त्रमाल के उप एत त

12.83 1315 250 4(石田田 - 2014-9(日田田-3)) 115 日本堂 前雨

ाहिनि में सिम्बालिकिंग को सूचनार्थ एवं अनीवक आर्यवाही है। समि-

12 महत्वयाकार, उत्तर प्रदेश प्रयानगाजन

(2) न्दरालखाश्चर, अरहिट प्रथम, उप्रिय, जयागतातः

जिलाजिक्वरी, कालपुर। (5:

ৰমিগ্ৰ ৰ**াজাতিগৰায়ি, জা**লপুং: (4)

प्रवन्ध लिदेशक, ३०४४ अवस्ति एवं विकास २०७४, लुखनज्ञ (許)

歯 अपर परियोजना धवन्धक, 3090 आवास ए। विकास प्रेर्ध्वा निर्माण राज्स्द्रे (0, कानपुर)

वित्तं लियंचका प्राधिधिक शिक्षा निदेशालय, 2090, स्वैवस्य (7)

चित्रं (व्यसं सिय्देवण) अनुसाम-11/वितं (आय-व्यक्तं अनुभाग-), उग्रेदाः शाम् न (8)

समाज करण्यांपा (बजट प्रकोष्ठ), उठप्र) शुख्ले <u>ረ</u>ዊ ያ

पाविधिक शिदेश अनुमान 3, उधप्र) शासनाः (10) Shasa

गाई फाइले: ខែម

ਲਹਿਰ

इ. सरीज क्रमण : াচ হুছিন

 यह धारत्नादेश इलेक्ट्रालिकृत्ये आहे निव्या गया है, अलः इत यह हस्स्वक्षर की आवध्यकता कहे हैं। 2- इस शोरतमंद्रेश में) चंग्राणिकता केंद्र सड़ेंट <u>http://shasanacest-up.vecia</u> 🖗 सत्वापित 🕫 🐲 जनमं 🕅

Grant Letter of Rs. 363.25 Lakhs from State government, U.P. under RUSA

संख्याः 249 /सोलह-1-2020-अवजट-31/2018

सुनील कुमार चाँघरी, विशेष सचिव. उत्तर प्रदेश शासन्। 📄

सेवा में,

ऐपक.

कृतसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय.

कानपुर।

प्रविधिक चिसा अनुमाग-1

नयनञः दिनांकः 28 जनवरी. 2020

विषय- हरकोई बटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के सुप्टढ़ीकरण/विस्तार हेतुं रूसा के अंतर्गत धनराशि अवस्कत किये जाने के संबंध में।

महोदय.

Contra SP

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-194/अनु0/2019 दिनांक 01.07.2019 का संदर्भ लें. जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के सुरक्षीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाले का अनुरोध किया गया है:

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विधारोपराज्य राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुद्दवीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के अवशेष निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप् में निर्माण हेतु केन्द्रांस के रूप में रू 30.75 लाख एवं राज्यांस के रूप में रू 332.50 लाख अर्थात कुल रू 363.25 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख पध्चीस हजार) धनराशि की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है:-

- (1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानकू व गुणवता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था। कुलसचिव, विश्वविद्यालय की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यथ हस्तपुर्ग्स्तेका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गल शासनादेशों के अनुरूप किश जारोगा।
- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दक्षा में उसी क्षेत्रेगमद में किया जायेगा।

ुन्दान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा। अन्यदायों संस्था प्रश्नगत निर्माण कर्य में व्यय दिन समिति द्वारा अंकिंत शर्ता/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी। Mambel Cart 201

अतः यह शीसमादेश इत्येमदानिकामी जगर किया गया है. अतः इस पर हम्ताखुर की आवश्यकता नही है।

- (7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेलु दो-दे माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषातार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
- (8) प्रश्नगत धनशशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

- (9) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमगनुसार समस्त आवश्यक वैद्यातिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय किल्यरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डूप्लीकेसी) को रोकने की हेस्टि से प्रायरेजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था दवारा यह सुनिश्चित किया आयेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (11) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोवागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, 'हो केनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंदित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकनुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।
- (12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मौनचित्रों को आदश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरणझिकेंसु लोकल अर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
- (13) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस ट्रेक्स के स्थान पर जी॰एस॰टी॰ की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर लियमॉन्सोर देय होगी।
- (14) प्रायोजना निर्माण कार्य ए०आई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (15) स्वीकृत धनसारी की द्वारा समयान्तर्गत न करने और उसके फलस्ड्रस्प होने वाली आहिट आपत्ति एवं किसी औ प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्य कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।

3. स्वीकृत धनराशि पर होने काला व्यय किलीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत त्रेखाशीर्थक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी काल्डेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना/सुद्दक्रीकरण-24-वृहत् निर्माण कार्य मंद के नामे डाला जायेगा।

 यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-48/दस-2020 दिनांक 21 जलवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कमार चौधरी) विशेष सचिव, 3...

संख्याः- 249 (सोलह-1-2020-9(बजट-3)/2018 सद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकाही हेत् प्रेषित:-

 अंधर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानंध संसाधन विकास मंघालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

-3-

- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ०प्र॰, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 3090, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र॰ प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) वरिष्ठ कोश्राधिकारी, कानपुर।
- (8) वित नियंत्रक, पाविधिक शिक्षा निदेशालय, 30प्र0, कानपुर।
- (9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कान्स्पुर।
- (10) মন্তর্নায় নির্বেয়ক, 30ম0 মত্রকীয় নির্মাण নিগম জি॰, লস্তলক।
- (11) श्री पी॰सी॰ जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानायार्थ मुख्यालय, कानपुर।
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (14) प्राविधिक शिक्षा अनुमाग-3, 30प्र0 शासन।
- (16) गार्ड फाइस)

आज्ञा से,

(अवध किशोर) उप सचिव।

Grant Letter of Rs. 196.51 Lakhs From State Government, U.P.

संख्याः-19/सोलइ-1-2020-09(वजट-7)/2011

प्रेषक,

सुनील कुमार चौंधरी, विशेष सचिव,

उतर प्रदेश शासन।

सेवा में,

क्लसचिव,

<u>प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1</u>

इरकोर्ट इटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर

<u> तखनङ: दिनांक: २५ मार्च. 2020</u>

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु. धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-323/Maint 'C'/18 दिसॉर्क 25.09.2018 व पत्रांक-554/Maint/19 दिसांक 30.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविदेयालय, कानपुर में बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू**0 392.51 लाख** (जी0एस0टी0 संहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्र**यम किश्त के रूप में धनराशि रू0 196.51 लाख** (रूपये एक करोड़ छियानवे लाख इक्यावन हजार मात्र) धनराशि की विल्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्ता के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्र को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अधौरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यर्क वैधानिक अनापतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्लगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी 'संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की हण्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगणन में दर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुंसार अम विश्वाग को किया जायेगा। 29

- (7) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंदेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया आवेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हस्कोर्ट बटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषानार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहड़ित कुरके दी जायेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तादित बॉट आउट आइटम श्रेणी के कार्य मर्दो पर व्यय सुसंगत दिल्तीय नियमों के अधीन सुनिष्टिवत किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलिल फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्ट्ल से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विधिष्टियों का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बैठेव्दरे प्राविधिक विश्वविदयालय, कानपुर प्राप्त कर दरों/विधिष्टियों से संतुष्ट होईसेनेध
- (13) प्रायोजना के लिम्भण में उच्छ विशिष्टियाँ का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तर्पुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-एव शासन को उपलब्ध कराया ज़ायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से २० 156:51 लाख व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत, लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक-विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं २० 40.00 साख अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगृत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियाँ के लिए विशेष घटक थोजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के लाग जायेगा।

3. सिंह आदेश वित विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याय विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में लिहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

मवदीय. (सुनील कुमार चौधरी) विशेष सैचिव

यह शासनादेश इत्विक्ट्रानिकाली जागे किया गया है, जातः 50 पर हक्तांकार की आवश्यकला नहीं है ।

²⁻ इस धारस्त्रदेश की प्रमाणिकता के साइट <u>bttp://shasenedesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

<u> संख्याः-19/सोलह-1-2020-09(इजट-7)/2011_तद्दिर्भाक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आहिट प्रथम, ३0प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कॉषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, उठप्रेण आवास विकास परिषद, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रवधक, 30प्र0 आवास विकास परिषद, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 3090 शासन।
- (9) विल्त (आय-ध्ययक) अनुमाग-1, उ०प्र0 शासन।
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र0 शासने।
- (11) विस्त नियंत्रक, पाविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर।
- (12) निजी सचिव, मांधे मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन। 👘 🖓
- (14) নার্ড দ্যাহল।

अला से, 3 (अवध किशोर) उम सचिव। Grant Letter of Rs. 120.53 Lakhs from State Government, U.P.

<u>संख्याः 206/मोलह-1-2020-09(बजट-3)(2020</u>

प्रेकक

भुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिठ,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कृतसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

पाविधिक शिक्ष अनुभागः 1

<u>लसजुङ: दिनांक: 26 मार्च, 2020</u>

विश्वय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविदयालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय अवस को उटचीकृत कर ट्रेनिंग प्लेशमंट खेल का निर्माण करने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय.

उपयुंक्त विषयक आपके अब टिनांक 108.07.2019 व पत्रक 566/Main/19 दिमांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विधारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में पुराने पुस्तकालय भवन को उच्चींकृत कर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के निमीण हेंदु परियोजना की मूल्यांकित लागल रू0 120.53 लाख (जी0एम0टी0 सहिता की, प्रशासकीय एवं विस्तीय स्वीकृति प्रटान करते हुए सम्पूर्ण घनराशि रू0 120.53 लाख (रूपये एके करोड़ बीस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्ता के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविजे को आवश्यकतानुसार ंस्यानीय विकास प्राधिकरण/सक्षभ तोकल अर्थोरिटी से स्लीकृत करायां जाय।
- (2) परियोजना में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अन्यपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्रियरेंस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नमत सिर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवल्ला की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तया वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

¹⁻ वह शासनदेश इसंबद्धाविकत्वे जारी किया गया हे अत: इस पर हस्त्याहर की आवश्यकत्व नहीं है ।

²⁻ इस रास्त्रादेश की प्रमाणिकता की संग्रेट http:///hestandeshup.gov/n से सत्यापित की उप स्वतती है । 🐧

- (4) प्रायोजना की द्विरावृति को रोकने की हण्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न दर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रधनगत धनराशि बॅंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजनों के आगणन में वर्णित लेबर सेस की धनराशि का मुग्रतान नियमानुसार अम विभाग को किया जायेगा।
- (7) यह सुनिधिवत किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा, आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्मगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका स्वीवट्रप्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराधि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की स्आवश्यकल के लिये आवश्यक धनराधि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी सिर्म्या को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गया धनराधि के 80 प्रलिशत का उपस्रोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराधि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (11) पायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट अफ्ट आइटम श्रेणी के कार्य मंदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियसों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिनित फ़िनीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टन से प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियों, का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर् प्राप्त का दरौ/विशिष्टियों से संतुष्ट हो लेंगे।
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्टियां का प्राविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीक्रुत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के राण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एव के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि में से रू0 95.53 नाख का व्यय वितीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रू0 25.00 लाख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद,

2- इस ध्वसनादेश की प्रमाणिकर: देव साइट <u>buc//sharandcohup.cog.st</u> में संस्कृषित की जा सकरते हैं ।

यह शासनादेश इसेक्ट्रानिकाई जारी किया गठा है, अन: इस घर हस्नादार की आवश्यकता नहीं है।

कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिवयय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसुचित जातियों के लिए विशेष यटक योजजा-14-हरकोर्ट बटलर जाविधिक विश्वविदयालय, कानपुर-24-वृहट निर्माण कार्य मद के लामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित विभाग वित्त (आय-त्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं वजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासलादेश संख्या-07/26-व0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधाओं के अंतर्गत निर्मत किये जा रहे हैं।

कुमार बौधरी विशेष सचिव

सङ्या-206(1) /सोलह-1-2020-09(वजर-3)/2020तद्दिनाक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेलु प्रेषितः-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाण्डिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्ष, 30प0, प्रयागराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30प्र0 समाज कल्याण शिगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 30प्र) समाज कल्याण निगम सिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प्र0 शासन।
- (9) वित्त (ऑय-व्ययक) अनुआग-1, 30प0 शासनः)
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र0 शासन)
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर। /
- (12) निजी सचिव, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासनः
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभग-3, 3090 शासन।
- (14) गाउँ फाइल।

(अवध किसोर) उम सचिव।

2- इस शास्त्रतादेश की प्रमाणिकेला देव साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

Grant Letter of Rs. 161.58 Lakhs from State Government, U.P.

<u>संख्या:-276सोल्ट-1-2020-09(बजट-1)/2020</u>

प्रेयक,

सुनीस कुमार चौधरी, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश श्वसन।

सेवा में,

कलराचित.

हरकोई बदलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

करनपुर

F. Lek

<u>लसनऊ: दिलक: 26-मार्च, 2020</u>

पाविधिक शिक्षा अलुझान-1 विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटंड महिला उपवावास के सेस बताक एवं कॉमन रूम के निर्माण हेतु घनराशि अवसुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुंक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 08.07.2019 व पत्रांक 566/Maine/19 दिनाक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोई इटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कारूपुर में 200 सीटेड उप्रजावास के मेस ब्लाक एवं कॉमल रूम के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत का 161.58 साख (जीउएस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि स्0 161.58 নাজ (মথাই एক ক্রাই হকনাত নাড়া সতুতাবন রজার দার) দী বিন্নোঁয় ম্বীকৃলি প্রী राज्यपाल लिस्नसिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रायोजना का निर्माण जार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय दिकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
 - (2) परियोजना में जियमानुसार समस्त आक्षश्यक वैधानिक अनापतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (3) प्रश्तगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी
 - संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
 - (4) प्रायोजना की ट्विएव्ति को रोकने की हष्टि से यह सुनिधिचत किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनग/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
 - (6) प्रायोजना के आगणन में वर्णित लेवर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
 - यह शासमारे क इसेक्ट्रामिकली जारी किया गया है, अल. इस घर हस्त्यावर की अववश्यकाल नहीं है ।

2- इस शासनमंद्रेज की प्रस्तणिवयर देव साइट <u>bittp://shasanaddesh.wp.gov.in</u> से सरवाणित की जा सकती है ।

35

- (7) यह सुनिष्टिचत किया जामे कि प्रायोजना के कर्मदामी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मंद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक देशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभूगि कुरने के उपराल्त अगले 02 नाह के लिए धनराशि कोधागार से आहरित करके दी उपयेगी।
- (11) प्रायोजना के अंतर्गल प्रस्तावित बॉट आउट आइटम क्षेणी के क्षेत्र्य मदा पर ध्यय स्संगत वित्तीय नियमों के अधीन सुनिधिवत किंथः जायेगा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिनति फर्जीचर के कय हेतु जेम पोर्टूल से प्रिण्त दर्श के अनुसार विवरण/विशिष्टियां का विवरण कुलसचिव, हरकोर्ट बेटेलुरे प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दर्श/विशिष्टियां से संतुष्ट हो लुँगे।
- (13) प्रत्यांजना के निर्माण में उच्च विशिष्ट्रियी का प्रविधान नहीं किया आयेगा।
- (14) स्वीकृत धनराशि का अपयोग वित्तीय सेंस्तर्भुस्तिका के खण्ड 5 आग-1 के प्रस्तर-369 एव के सुसंगल धाविधानों के अन्दुक्य किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-एव शासन को उपलब्ध कराया जार्श्योग,

2. स्वीकृत धनराशि में से रु0 128.48 लाख का व्यय वितीय वर्ष 2019-20 के आंध-ध्ययक के अनुदान स0-47 के अंतर्ग़ल लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिध्यए-02% किन्दीकी शिक्षा-105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोई घटलर प्राविधिक विश्वविद्यालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं रु0 33.10 साख का व्यय अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिध्यय-02-लेकनीकी शिक्षा-789-अनुसूधिल जातियों के लिए विशेष घंईक योजना-14-हरकोई बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य/संद के नामे झला जायेगा।

3. स्वेहे आदेश विस विभाग वित्त (आय-व्यथक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -ई-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं वजट प्रकॉम्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-व0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राडिधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

यह श्वासन्तदेश इसेक्ट्राजिकले जारी किया गंधा है, अतः इस पर हस्ताधा की आवश्यकता गही है।

²⁻ इस शासनदेश के व्याणिकता के लड़र http://www.weekuup.grg.jb से सत्यापित की जो सकती है । 🐴

<u> सख्या:-276(1)/मोलङ-1-2020-09(बजर-1)/2020 संदुदिनांक-</u>

- प्रतिलिपि निम्लसिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- महालेखाकार (लेखा एव हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराअ।
- (2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयत्नगराजः
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) मुख्य/क्षरिषठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उ०प्र0, प्रयानराज।
- (6) प्रबंध निदेशक, 30क0 समाज कल्याण निगम निमिटेड, लखनऊ।
- (7) परियोजना प्रबंधक, 3090 समाज कल्याण निगम सिमिटेड, ईकाई, कानपुर।
- (8) जित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, 30प0 शासन।
- (9) विस्त (आय-व्ययक) अनुआग-1, 3090 शासना
- (10) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 3090 शासन।
- (11) दिल्ल नियंत्रक, प्रातिधिक शिक्षा सिदेशालय, कानुपर।
- (12) निजी सचिव, मा() संत्री, प्राविधिक शिक्षा दिभाग, उ0प्र0 शासन
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उठप्र0 शासन।
- (14) गार्ड काइल।

अग्रजा से, (अवध किशोर) उप सचिव।

2- इस ध्यमतादेश की प्रमाणिकना वेबे साहट <u>bute.//spassentestrue.go.co.ir</u>, में सरयापित की जा सकती है ।

यह शास्त्रनादेश इत्येक्ट्राम्पिकली जाग्री किया ग्रमा है, अलः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकला नहीं है।

Grant Letter of Rs. 176.07 Lakhs from State Government, U.P.

संख्याः-275/सींसंड-1-2020-09(सज्राट-2)/2020

प्रेषक

सुनील कुमार चौचरी, 📄 विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में.

कुलमचिब,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्रविधिक सिक्षा अनुभाग-1 विषयः हरलोटं बटलर प्रविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के योत्रिक अभियंत्रण विभाग में

कक्का-कक्कों के लिसीण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपयुंकत विषयक आपके पत्र दिसांक 08.07.2019 व पत्रांक-566/Maint/19 दिसांक 06.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयक विधारोपरान्त हरकोर्ट बदलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के यांत्रिक अभियंत्रण विभाग में कक्षा-कक्षा के निर्माण हेतु परियोजना की मूल्यांकित लागत स्0-176.07 लाख (जी0एंस0टी0 सहित) की धरासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धलग्रशि रूप 176.07 लाख (रूपये एक करोड छिंहत्तर लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपास निम्नलिखित शर्ती के अधीन सहब स्वीकृति प्रदान करते है

- (1) प्रायोजना का लिमोण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अधारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) परियोजना मैं वियमानुसार ससस्त आवश्यक देधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन (विभाग की अनापति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्लगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मालक व गुणवत्ता की जिम्मोदारी संस्थान/कार्यदावी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।
- (4) प्रीयोजना की द्विरावृति को रोकने की हच्चिट से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जप्ना प्रस्तावित है।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में मही रखी जायेगी।
- (6) प्रायोजना के आगेणन में धर्णित लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार अस विकास को किया जायेगा।
 - 1- यह शासनादेश इमेक्ट्रानिकली उसी किन्द्र गया है, जत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2+ इस शहसनादेश की प्रसाणिकता केंब साइट <u>http://shasanadesh.wa.eov.ip</u> से स्वकापित की जा सकता है ।

- (7) यह सुनिधिचल किया जाये कि प्राथोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज वार्ज लिया जाय।
- (8) प्रश्नगत धनराशि जिस बार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (9) अवमुक्त धनशांशि में से निर्माण कार्य हेतु दोन्दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलमधिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागम से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जार्यगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उप्रभूगि-करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराणि कोवागार से आहरित करके दी
- (11) प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम श्रेणी के किये मदा पर व्यय सुसंगत विल्तीय निवसों के अधीन सुमिश्चित किया जायेग्रा।
- (12) प्रायोजना में सम्मिलित फर्नीचर के क्रय हेतु जेम पोर्टने में) प्राप्त दरों के अनुसार विवरण/विशिष्टियां का विवरण कुलमचिव, हरकोर्ट बटलर प्रौविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर प्राप्त कर दरौं/विशिष्टियाँ से संतुष्ट हो तेंगे। °
- (13) प्रायोजना के निर्माण में उच्च विशिष्ट्रियां को प्रिविधान नहीं किया जायेगा।
- (14) स्वीकृत धलराशि का उपयोग वित्तीस हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर-369 एच के मुसंगत प्राविधानों के अनुरूप किया जायेका तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायूगी।

स्वीकृत धनसांशि में से रू0 139.07 लाख के इंगय वितीय दर्ष 2019-20 के आय-2. हययक के अनुदान सं0-47 के अनुगत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिवयय-02-तकनीकी[े]शिक्ष-105-इंजीर्गनेयरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थाल-16-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविदयालयविद्यालय, कानपुर-24-वृहद निर्माण कार्य मद के एवं हा 37.00 साथ के टबर्य अनुदान स0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्थक-4202-शिक्षा, खेलकूट, कला तथा संस्कृति येर पूंजीमत परिच्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक यांजुजना-14-हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यासँय, कानपुर-24-दृहद निर्माण कार्य मदे के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश विन विभाग विन्त (आय-व्ययक) अनुकाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 💲 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प0-2015 दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्मत निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस कारणदेश की प्रमाणिकता के साहद b<u>sta://stanadesh.up.gov.b</u> से सत्यापित की जा सकती है j

²⁻ यह श्वराजादेस इत्येन्द्राजिकली जारी किया गया है, अल: इस पर इञ्चाधर की आवश्यमत्व अही है।

<u> इंड्रमाः-275(1)/सोलह-1-2020-09(बलट-2)/2020 तद्दितांक-</u>

प्रतिनिपि निम्नसिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.-

- महालेखकार (लेखा थवं हकदारी), उतर प्रदेश, प्रयागराज। (1)(2)
- महालेखाकार, अगडिट प्रथम, 3090, प्रयागराज।
- जिलाधिकारी, कानपुर। (**3**)
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर। (4)
- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, उंग्रेप्र0, प्रयागराज। (5) (6)
- प्रबंध निदेशक, ३०प्र० सम्प्रज कल्याण निगम लिमिटेड, लखनऊ। (7)
- परियोजना प्रबंधक, 30प्र0 समाज कल्याण निथम लिमिटेड, ईकाई, कानपुर। (8)
- थित (ध्यय निर्धवण) अनुभगग-11, 30प्र0 शासना (9)
- वित्त (अग्य-थ्ययक) अनुभाग-1, 30द्र0 शासन। (10)
- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), 30प्र0 शासन।
- (11) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानुपर।
- (12) নিজী মন্দ্রির, মণ্ড মন্বী, জবিয্রিক মিট্রা বিমান, 30৫0 शासल।
- (13) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र() शासन।

(14) - গাই জাড়ল_ি

....

अग्ना से

(সবধ কিন্ধার) उप सचिव।

- 1- थक शासनादेक इसेक्ट्रालिकली उमरी किया राग है, अल इस पर हस्ताकर की अन्वरथकला नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की जनानिकला वेब साहट <u>http://sheistudjsh.wagovin</u> है रहकापित की जी सम्बर्ग है ।

f

No.-2163/16-1-2019-9(Budget-11)/2011

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 02 Aug, 2019

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of 400 Bedded Hostel

Sir,

3. In this reference, I am directed to state that from the Project Formation and Appraisal Department (PFAD), Rs.1031.38 lakhs (with GST) is revised estimated cost on the place of old revised estimated cost of Rs. 880.25 lakhs. After proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.99.56 Lakhs** (Ninety lakhs and Fifty six Thousands only) which is sum of 79.66 Lakhs (from Grant No.-47) and Rs. 19.90 Lakhs (from Grant No.83) for Construction of 400 Bedded Hostel in the Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 07 Aug, 2019

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of VC house/Camp office

Sir

With reference to letter No. 124/Maint no.18 dated 01.05.2018, letter No .40/Anurakhsan panjikrita Maag/2018 dated 30.10.2018 and Letter No. 219/Maint/19 dated 08.07.2019, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.109.00 Lakhs (One Crore, Nine thousand only)** which is Sum of Rs. 87.00 lakhs (Grant No.-47) and Rs. 22 Lakhs (Grant No-86) for Construction of VC house/Camp office in Harcourt Butler Technical University, Kanpur

No.-249/16-1-2020-9(Budget-3)/2018

Sender,

Dr. Sunil Kumar Choudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 28 Jan, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Renovation, and expansion

Sir,

3. I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 363.25** Lakhs (Three Crore Sixty three lakhs, twenty five thousands only), which is sum of Rs.30.75 Lakhs (central fund share) and Rs. 332.50 Lakhs (State fund share) for Renovation, and expansion under RUSA.

No.-19/16-1-2020-9(Budget-7)/2011

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 24 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Boundary wall

3. With Reference to Letter No -323/Maint "C"/18 dated 25.09.2018 and Letter No. 554/Maint/19 Dated 30.12.2019, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs.196.51 Lakhs (One Crore, ninety-six lakhs, fifty thousand only)** which is First Instalment of Amount Rs.392.51 Lakhs (with GST) for Construction of Boundary wall in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following conditions:

No.-206/16-1-2020-9(Budget-3)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Training and Placement Cell on the Place of Old Library

Sir

With reference to Your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/Maint/19 dated 06.01.2020, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 120.53 Lakhs** (1 Crore twenty Lakhs fifty Thousands only) which is total valuated Grant Rs. 120.53 Lakhs (with GST) for Construction of Training and Placement Cell on the Place of Old Library Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following Conditions

No.-276/16-1-2020-9(Budget-1)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Mess Block and Common Room in 200 Seated Girls Hostel

Sir

With reference to your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/maint/19 dated 06.01.2020, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 161.58 Lakhs** (1 Crore, Sixty One Lakhs fifty eight Thousands only) which is total valuated Grant Rs. 161.58 Lakhs (with GST) for the Construction of Mess Block and Common Room in 200 Seated Girls Hostel in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following condition as given below:

No.-276/16-1-2020-9(Budget-1)/2020

Sender,

Dr. Sunil Kumar Chaudhary Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2020

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction of Classes and Rooms in Mechanical Engineering Department

Sir

With reference to your Letter No. 08.07.2019 and Letter-566/maint/19 dated 06.01.2020, I am directed to state that the after proper discussion, Honourable Governor has given Financial and Administrative approval of the Grant of **Rs. 176.07 Lakhs** (1 Crore, Seventy six Lakhs Seven Thousands only) which is total valuated Grant **Rs. 176.07 Lakhs** (with GST) for Construction of Classes and Rooms in Mechanical Engineering Department in Harcourt Butler Technical University, Kanpur on following condition as given below:

Grant Letter of Rs. 435.90 Lakhs from State Government, U.P.

-200)

ग्रेषक,

डां0 सरोज कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर ।

पाविधिक शिक्षा अनुभाग-1

तजनङ: दिनांक: 24 अन्दर्भ 2018

2....

Beardonancemaker

C.T.E

संख्याः-104/2018/3401/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कैमिकल इंजीनियरिंग विभागओं कहोों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

Solle.

19

7-1

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संखया-272/Maint/18 दिनांक 27.08.2018 का संदेश लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग विश्वा में कक्षों के अवशेष कार्यो हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

 सूच्य है कि शासनादेश संख्या-34/सोलह-1-2017-9(बज्ज 6) 2016 दिनांक 03-01-2017 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु रू0 1089.77 लाख की प्रशासकीय एवं विल्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 435.90 लाख की धनराशि अवमुक्त के स्थां।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है के कर्कार्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर में कैमिकल इंजीनियरिंग विभाग में कक्षों के अवशेष कांयों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अनुदान संख्या-47 से रू 348.72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू 87.18 लाख अर्थात कुल रू0 435.90 लाख (रू यार करोड़ पैतीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि राज्यप्रल महोदय निम्नलिखित धलों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते है-

, ज्यमगत जिमांण कार्य की विशित्ति मालक व गुणवता की जिममेदारी संस्थान की होगी।

) स्वीकृत धनराशि के वा हस्तपुंस्तिका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्रविधानों एवं समय-समय भ शासन वारी निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

प्रश्नगत धनुराति बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टॅक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(5) जिनगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

💊बर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

(8) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपमोग करने के उपरान्त अगले 02 गाह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

THE LOHONN 210 A0 Goovd . /10 19-1110 राप्रमादिश हे हिंदानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है । सि शामनादेशामी ममाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से सत्यापित की जा सकती है । 48 19.1 जनकेदिक विश्वतिद्वालय

9) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्थों की द्विरावृति (उूप्लीकेसी) को रोकने की इच्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिधित्ति किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

-2-

- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही संटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (11) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/ टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

२. स्वीकृत धलराशि में से रू0 348.72 लाख पर होने वाला व्यय चालू वितीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02 वकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रादयोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् लिमांण कार्य एवं रु 87.18 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रादयोगिकी विश्वविदयालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नसे डाला जायेगा। 3. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुमाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत चित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार) विशेष सचिव

तंजया-104/2018/3401(1)/सालह-1-2018-9(1जट-6)/2016 तद्दिनाक-

प्रतिलिपि निम्नलि कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- (1) महालेखाकार, उपर प्रुदेश, स्नाहाबाद ।
- (2) महातेखाकार, आहिट प्रथम, उठप्र0, इताहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी/ वॅरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (6) प्रियोजना प्रेवन्धक, यूनिट-3, 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (7) के विद्य नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र0, कानपुर।
- (8) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (9) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (10) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
- (11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा सं, (अवध किशोर') उप सचिव।

454495Mary aver

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अल: इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकला नहीं है।
 इस शासनादेश की प्रमाणिकला वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.nic.in</u> से सल्यापित की जा सकती है।

CA9012

Grant Letter of Rs. 310.00 Lakhs from State Government under RUSA

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018

प्रेषक,

सुरजन, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्रांदयोगिकी विश्वविद्यालय,

कानप्र।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषयः- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुद्दवीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवसुक्त किये जाने के संबंध में।

माहेदय,

उपयुंक्त विषयक अपने पत्र संख्या-584/मेटेन/2019 दिनांक 25.01,2019 का संदर्भ लें, जिसके द्वार हरकोर्ट बटलर प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय, कानपुर के सुइढी कराष्विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत अवसुक्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के अंतर्गत हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुद्दीकरण/विस्तार हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू 1990.00 लाख (केन्द्रांश रू 1340.00 लाख एवं राज्यांश रू 650.00 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त हरकोर्ट बटलर प्रॉद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदरीकरण/विस्तार हेतु अनुदान संख्या-47 से रू 248.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू 62.00 लाख अर्थात् कुल रू 310.00 लाख (रूपये तीन करोड दस लाख मात्र) की धनराशि केन्द्रांश...के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

- (1) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से /पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (2) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था एवं कुलसचिव, विश्वविदयालय की होगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत धनराशि बैंक खाता/पी॰एल॰ए॰ में नहीं रखी जायेगी।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय क्रूयेक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

- (7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार क्षम विभाग को किया जायेगा।
- (8) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
- (9) अवमुक्त धनराशि में हो निर्माण कार्य हैतु दोन्दी माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनरांशि, कुलसचिव/वित्त नियवक, हरकोर्ट बटलर प्रौदयोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषांगार से आहरित कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (10) प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वरिावृति (डप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कार्यदायी संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जौना प्रस्तावित है।
- (11) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रश्नगत आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया
- (12) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) प्रश्नगत आगणन/लागत का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयां एवं कार्य प्रविधानों को यथावल मानले हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाने, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

स्वीकृत धनराशि में से रू 248.00 लाख वाल् वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलक्ट, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तुकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुद्दीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य एवं रू 62.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान सं०-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुस्चित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुरदीकरण(के60/रा40-के+रा)-24-वृहल निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश विल्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस् 2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(स्रजैन) विशेष सचिव

51

संख्या-09/2019/767/सोलह-1-2019-9(बजट-3)/2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को स्वनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेनु प्रेषित :-

- अवर सचिव, उच्चलर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (6) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, 3०प्र॰ राजकीय निर्माण निगम लि॰, लखनऊ।
- (8) प्रबन्ध निदेशक, ३०प्र॰ आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (9) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- (10) वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (11) वित नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्रौद्धोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (12) श्री पी0सी0 जैन, लोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
- (13) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
- (14) वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित (आय व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (15) प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
- (16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर) उप सचिव।

Dated: 24 Oct, 2018

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Subject: Regarding release of grant to HBTU Kanpur for new Construction of Chemical Engineering Building

3. In this regards, I am order to say that the Honourable Governor has approved the Grant of **Rs**, **435.90** Lakhs (Rs. Four Crore, thirty-Five Lakhs, ninety thousand only) in two- instalment (Amount Rs. 348.72 Lakhs (Grant No. 47) and Rs. 87.18 Lakhs (Grant No. 83) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for new Construction of Chemical Engineering Building.

No.-09/2019/767/16-1-2019-9(budget-3)/2018

Dated: 30 March, 2019

Sender,

Mr. Surjan Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University, Kanpur

Subject: Release of Grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur regarding renovation and Upgradation under RUSA

3. In this regards, I am order to say that the Honourable Governor has approved the Grant of **Rs. 310.00 Lakhs** (Three Crore, ten lakhs only) which is sum of Grant Rs. 248 Lakhs (Grant No.47+ Rs. 62 Lakhs (Grant No.-83), regarding renovation and Upgradation in Harcourt Butler Technical University, Kanpur under RUSA.

xpenditur	e	Harcourt Butler	r Technical Univer Nawabganj Kanpur	sity, Kanpu	r	
		Addl.Proj. Ma	anger UPRNN Unit Ledger Account Kanpur University Kanpur	-4 Kanpur		
		1-A	Apr-2018 to 31-Mar-2019			
Date	-	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Page 1 Credit
15-3-2019	Cr	(as per details) GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being 50% Advance paid for New Construction of New CC Road for North Gateof Main Building in East Campuse Ch No. 079602 & 079603		912	12,48,520.00	
	Cr	(as per details) GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being 50% Advance paid for repairing of Coloring of CED, Electrical & Electronic CSE & MED building vide Ch No.07960 079603	cs,	913	97,87,260.00	
31-3-2019	Cr	(as per details) T.D.S PAYABLE Income Tax @2% GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being IInd Installment paid in Adv. for Renovation of Electrical & Electronics Department total sanction 51.06.00 Lac 2604060/- already released) 30% of Rs 06.00 lac i.e. Rs.1480740/- paid vide C 079664	s 51.	981	14,21,510.00	
	Cr	(as per details) T.D.S PAYABLE Income Tax @2% GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being IInd Installment paid in Adv. for Renovation of MED total sanction 35.00 (Rs. 17.85/- lac already released) 30% 35.00 lac i.e. Rs.10.15 lac paid vide Ch 079664	of Rs	982	9,74,400.00	
	Cr	(as per details) T.D.S PAYABLE Income Tax @2% GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being IInd Installment paid in Adv. for Renovation of CSED total sanction 86.3 Lac (Rs. 4316000/- already released) 3 of Rs 86.32 lac i.e. Rs.25.03 lac paid vi Ch No.079664	0%	984	24,03,148.00	
	Cr	(as per details) T.D.S PAYABLE Income Tax @2% GST TDS @2% CBI BANK_3569148473 (Verified 17-18) Being IInd Installment paid in Adv. for Renovation of Civil Engg.Deptt total san 27.35 Lac (Rs. 1395360/- already relea 30% of Rs 27.35 lac i.e. Rs. 792640/- la paid vide Ch No.079664	sed)	985	7,60,934.00	
		Carried Over		_	1,65,95,772.00	

Scanned by CamScanner

55

Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
	Brought Forward			1,65,95,772.00	
31-3-2019 D	r (as per details) Capital WIP GST TDS @2% BEING AMOUNT FOR BUILDING RENOVATION TRF TO CAPITAL WI	Journal 1,68,20,992.00 Dr 2,25,220.00 Cr	958		1,65,95,772.00
			_	1,65,95,772.00	1,65,95,772.00

Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 191.77 lakhs received fromUniversity income

BALANCE SHEET OF

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY, KANPUR

FOR THE FINANCIAL YEAR

2018-2019



v v v v v v v v v

1111111

RAJIV MEHROTRA & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE FOR FIXED ASSETS-COMPLETE DETAILS AVAILABLE IN VALUER REPORT-

	in a second second second		Gross	Block		Constant and the second	Depre	eciation		Notis	lock
si.	Particulars	Opening Balance	Addition	Sale/Tra nfer	Closing Balance	Opening Balance	Addition	Adjustment	Closing Balance	Closing Balance	Opening Balance
1	Building	1000037552.72	10244300.00	0.00	1010281852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1010281852.72	1000037552.73
2	Equipments	154505060.04	6029189.35	0.00	160534249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	160534249.39	154505060.04
	Equipments-TEQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Vehciles	3422412.00				0.00	0.00	0.00	0.00	5895435.00	3422412.00
5	Furniture & Fixtures	925508.00	431365.98	0.00	1356873.98	0.00	0.00	0.00	- 0.00	1356873.98	925508.00
6.	Land	23759937000.00	0.00	0.00	23759937000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23759937000.00	23759937000.00
-	Total	24918827532.76			24938005411.09	0.00		0.00	0.00	24938005411.09	24918827532.70

ACCOUNTS OFFICER

DING:

INTERNAL AUDITOR

24

FINANCE CONTROLLER

58

Grant Letter of Rs. 30.00 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या- 1/2018/4761/सोलह-1-2017-9(हजट-7)/201

प्रेषक, डा० सरोज कुमार, विशेष सचिव, ३०प० शासत। सेवा में, इन्त्रसचिव,

हरकोटे बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कालपुर

तवनाङ दिनांकः 02 जनवरी, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य भवन में नग ड्राइंग होल के निर्माण प्राविधिक सिक्षा अनुमाग-। हेतु पनसशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-830/Maint/2017, दिलांक 19.12.2017 का संदर्भ से, जिसके दारा विश्वविद्यालय के मुख्य भवल में निर्माणाचील लग ड्राइंग होल के लिमांण हेतु अवशेष धलराशि अवमूत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सूच्य है कि शासन के पत्रांक-2099/सोलह-1-2014-9े(वज्रट-7)/2011 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मुख्य अवन में नग झड़ंग होत के जिमोण हेतु रू 120.02 ज़ाख वी प्रशासकीय एवं विसीय स्थीकृति के सापेक्ष 50 प्रतिशत प्रजराशि रू 60.01 लाख में से प्रथम फिरत के रूप में रू 30.00 लाख की प्रजराशि राज्य सरकार द्वारा अवसूक की गयी है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का लिदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राधिपिक विश्वविद्यालय, कालपुर के मुख्य भयन में लग ड्राइंग होते के अवशेष काथी के निर्माण हेनु अनदान संख्या-47 में से रू 24.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रू 6.01 लाख अर्थात् कुल रू 30.01 लाख (रूपचे तीस लाख एक हजार मात्र) की धलसंशि स्वीकृत करने की श्री राज्यधाल महोदय निम्लांकित शर्ली के अधील सहये स्वीकृति प्रदान करते है

स्वीकृत चनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिलांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तवनीकी स्वीकृति पास होने के (1) ्यश्वात ही जिम्रोण कार्य पारम्झ कराया जाये तथा अविषय में योजनाओं में इसकी ्रम्तरावृति न हो।

कार्य की विशिष्टियां, मालक व गुणवता की जिन्मदारी कुलमचिव, एच०बी०टी०यू०, कालपुर Υ., (Z)

- की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा ۰. अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यथ वितीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर 369 एच के सुसंगत पाविषानी एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्मत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- प्रस्रगत प्रलसंशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में (4)उसी कार्य/सद से किया आयेगा । 2 ...

- (5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पीठएलठरुठ में नहीं रखी आवेगी ।
- (6) तैयर सेस की पलराशि का भुगतान नियमानुसार क्रम विमाग को किया जायेगा।
 (7) अवमक प्रताशि हो में निर्माण कर्ड हैन ०२ ०२ वर्ग की

120

- (?) अवमुक धनगरि में से निर्माण कार्य हेनु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनगरि थुलसचिव, एच0वी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषामार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जावेगी। कार्यदायी मंस्या दारा पूर्व में दी गयी धनगरि के 80 प्रतिशत का उपभोग वरते के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनगरि कोषामार से आहरित करके दी जायेगी।
- (8) अनुदान संग्रम-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही पातराणि का व्यय/उपभोग एसठसीठएसठपीठ/टीठएस०पीठ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य मरकार दारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) पायोजना में प्रस्तोपित सर्विस टेक्स के स्थान पर जीठएस0टी0 की लागत वास्ताविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देव होगी।

4. स्वीकृत प्रमराशि में से २० २४.०० लाख पर होने वाला व्यय प्रवेस वितीय वर्ष २०१७-१८ के अनुदान २०-४२ के अंतर्गत लेखाशीषेत-४२०२-शिक्षा, चेलकृद, केला तथा संस्कृति पर पूंजीगल परिव्यय-०२-तकवीकी शिक्षा-१०५-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-१६- इस्कोर्ट बटलर प्रांचीतिकी विश्वविधालय, जालपुर-२४-युह्त लिमांण वर्व्य एवं रू ६.०१ लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-८३ के लेखाशीषेक-४२०२-शिक्षा, खेलकृद, कला लथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-०२-तवजीकी शिक्षा-७४७-अनुस्चितः जातियों के लिए विशेष घटक योजनां-१४- इस्कोर्ट बटलर प्रांचीनिकी विश्वविधालय, कालपुर-२४-युहत जिमांण करवे मंद्र के लामे डाला जार्यमा।

 यह आदेश चित (आय-व्ययक) अनुभाग-। के कार्यालय लाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिलाक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोह, समाज कल्याण विभाग के शासलादेश संख्या-07/26-वां0पा0-2015, दिलांक 27.03.2015 में निहित प्राविधाली के अंतर्गत लिग्रेत किये जा रहे हैं।

अवदी व (डा० सरोज कुमार) विशेष सचिव

3

संख्या-1/2018/4761/सोलह-1-2017-9(सज्ञद-71/2011 तददिनाक-

प्रतिभिधि तिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धेषित:-

- (1) महातेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (२) महालेखाकार (आहिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) जिलाधिकारी, कालपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कालपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कालपुर।

यह शास्त्रवादेश इत्येवट्राजिकजी ज्ली किया सथा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आयंश्वकता जहीं है।

2- इस शासलादेश की प्रवाणिकता केंद्र साइट http://sheamadeshup.nic.in में सल्पापित की आ सवयी है ।

60

Grant Letter of Rs. 137.06 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या- 3/2018/ 4257/सोलह-1-2017-9(बजट-6)/2016

to corodo dy

डा० सरोज कुमार, विशेष सचिव, उठप० शासन।

सेवा में,

QWW.

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कालपुर। प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 त्व जिलाभिकारी लिया हिलाकः १४ जनवर्षः २०

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर में कतिपय कार्यों के निर्माण हेन आवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कि नियन्त

गेंठ कलणाकर सिंह)

285 RolCrost/10

कुल सचिव

(1)

(2)

12/4/10

Sur Addition

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-237/कुस0का0/2017. दिनीक वर.11.2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में कतिपय कार्यों के निर्माण हेतु अपरोध वर्क्यांचि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्रांक-4809/सोलह-16-9(वजट 6)/2016टी.सी. दिलांक 03.01.2017 दारा विश्वविद्यालय में सड़को की मरम्मत के लिमांण के प्रशासकीय स्वीकृति रू 152.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 76.08 लाख तथा इत्यवद्येगन हय के लिमांण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू 121.95 लाख के सापेक्ष जयम किश्त के सान्द्रों रू 60.97 लाख की पानराशि अयमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह गहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में उपरोक्त अधेशय कयों कि बिमीण हेतु निम्न विवरणानुसार अनुदान संख्या-47 में से रु 109.64 लाख एवं अनुदान सं म्यात्वे में से रु 27.42 लाख अर्थात् कुल रु 137.06 लाख (रुपये एक करोड़ सतीस लाख एवं, हजार प्र 1) की चलराशि स्वाकृत करने की श्री राज्यपाल मर्सदय निम्नांकित शर्ती के अधीन सहर्ष स्वीकृति, प्रवान केंद्रे हैं-

(रूपये लाख में)

२० कार्य को विवरणो भूर्य	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	अनुदान संख्या-47	अनुदान संख्या-83
भ राइको की मरर मत	76.08	60.86	15.22
2 इन्क्यूबेशन ह /	60.98	48.78	12.20

स्वीकृ धनराणि का उपयोगिता प्रमाण-५२ शासन को दिनांक 31.03.2018 तक उपसब्ध कराय जावेगा प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्म 1 कार्य ६ रम्भ कराया जावे तथा भ 1ध्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृति न हो। कार्य की विशिष्ति एं, मानक व गुणवता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एव0बी0टी0यू0, कानपुर की होगी तथा 3 16 द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि कार्य निर्धारित समय सौमा महादी की तैथार्थ में जाये।

t & the manyered the many es un es and

- स्थाकृत धनराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 ए 121 के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन दारा निर्गत शासनादेशों के अनुरु
- पश्चगत चनराणि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में (4)उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नही रखीं जायेगी । (S)
- (6)
- लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा । अयमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेनु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक (7) धनराशि कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कालपुर द्वारा कोषांगार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था दारा पूर्व में दी गर्ना पनराशि के 80 प्रतिशत का उपमोग करने के उपरान्त अयले 02 माह के लिए प्रमहाको कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा सर्थ जिसाक्षी का व्यय/उपमोग (8) एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग, भारेष प्रकार तथा राज्य सरकार हारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा
- पायोजना में प्रस्तोवित सविस टैक्स के स्थान पर घोठिएस०टी० की लागत वास्ताविक (9) आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देखागी)

स्वीकृत धनराशि में से रू० 109.64 लाख घर की माला दयय धालू वितीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं०-47 के अंतर्गत लेखाशीर्थक-4202-शिवा खेलुक्ट्रेंद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कल्की तथा संस्थाल-16- हरकोर्ट बटलर प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्यु पतं रु 27.42 लाख पर होने वाला व्यय अनुदाल संख्या-83 के तेखाशीर्षक-1702-शिक्षा, खेलवट जन्म तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकलीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिस विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट यटलर प्रौपोगिकी विश्वविधालय, कालपुर-24-वृहत निर्माण कार्यसमद क्रिनामे डाला जायेगा। 5.

यह आदेश विते (भाषा व्ययक) अनुमाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विमाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिलाके 27.03.2015 में लिहित प्राविधालों के अंतर्गत लिर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय.

(डा० सरोज कुमार) विशेष सचिव

3

संख्या-3/2018/4257/सोलह-1-2018-9(बजद-6)/2016 तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इंलाहाबाद।
 - (२) मर्रालेखाकार (आहिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - (3)/जिलाधिकारी, कालपुर।

यह शासलादेश इलेक्ट्रालिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्लाक्षर की आवश्यकला नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रसाणिकला के साइट http://shasana62n.up.nic.in में सल्यापित की जा सकती है ।

- । भोषाधिकारी, कालपुर।
- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कालपुर।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, 3000 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
- (8) अधिशासी अभियल्ता, 30प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), निर्माण प्रखण्ड, pillshasanadesh up nicin कालपुर ।

-3-

Grant Letter of Rs. 230.29 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या-26/2018/1178/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016

सुरजन, विशेष सचिव, 5000 शासन।

रोवा जो,

Quin.

कुलसंचिच,

हरकोटे चटलर प्राविधिक विश्वविधालग

कालपुरा

पाविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लबनऊ दिलांकः 26 साचे, 2018

विषय- हरवनेर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास के निर्माण हेलु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाते के संबंध में।

अद्धोदयः

उपर्युता विषयक अपने पत्र संख्या-956/mint(C)/18, दिलांक 09.03.2018 का संदर्भ लें, जिसके दारा विश्वविद्यालय में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास के लिर्माण हेतु जवरोष पलराशि अवमुत्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२ सूच्य है कि शासन के पत्रोक-4809/सोलह-16-9(प्रजट-6)/2016टी.सी. दिलांक 03.01.2017 पांस विश्वविद्यालय में प्रप्रतगत परियोजना के निर्माण हेनु प्रशासकीय स्वीकृति रू 460.58 लाख के सापेक्ष प्रयंग किश्त के रूप में रू 230.29 लाख की पलसचि जवमुक्त की गयी है।

3. इस सबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविधालय, कालपुर में 200 सीटेड ठाजा-छात्रावास के अवेशप कार्यों के किमीण हेतु अनुदान संख्या-47 में से रु 187 72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रू 42.57 लाख अर्थात् कुल रु 230.29 लाख (रूपये दो करीड तीस लाख उनतीस हजार मात्र) की घलराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नोंकित शर्तों के अधीन सहम स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) स्वीकृत धलराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिलांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जावेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चाल ही तिमोण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुलसवृत्ति ल हो।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कालपुर की होगी लखा उलके द्वारा वह सुलिश्चित किया जायेगा कि कार्य लिधारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
- (3) स्वीकृत धलराशि का व्यय वितीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर ,369 एव के सुसंगत प्रतिधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निगैत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रक्षगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यवे प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत पतराशि बैंक खाता/पी062000 में तही रखीं जायेंगी ।
- (6) लेवर सेस की धनसांशि का मुगलान नियमानुसार अम विभाग को किया आयेगा ।

- (7) अवमुक पनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यके पनराशि कित्त नियत्रक, एच0वी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषामार से आहरित कर कार्यदायों संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी मयी पनराशि के 80 प्रतिशत का उपमोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषामार से आहरित करके दी'जायेगी।
- (8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनसाशि का व्यय/उपभोग एसठसीठएसठमीठ/टीठएसठपीठ हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मालक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना में प्रस्तोवित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागल यास्ताविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

4. स्वीकृत धतराशि में से रू 187.72 लाख पर होने वाला त्यय चालू विद्वीय वर्ष. 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्थक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति धर पूंजीमत परिवयक 02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकलीकी कालेज तथा संस्थान 16- हरकोर्ट बटलर प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, कालपुर-24-वृहत लिर्माण कार्य एवं रू 42.57 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्थक-4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटफ योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौधोगिकी विश्वविद्यालय, कालपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. वह आदेश चित (आय-व्ययक) अनुमान-1 के कार्यालय राप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिलांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकीष्ठ, समाज कल्याण चिभाग के शासनादेश संख्या-07/26-या0पा0-2015, दिलांक 27.03.2015 में लिहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय. (स्रजन) विशेष सचिय

3.....

संख्या-26/2018/1178/सोलह-1-2018-9(वजट-6)/2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 🐘 (२) महालेखाकार (३०डिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। 🐔
- (3) जिलाधिकारी, कानपुर।
- (4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कालपुर।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (6) निदेशक, पाविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कालपुर।
- (7) प्रबन्ध निदेशक, 3000 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
- (8) अधिशासी अभियल्ता, 3000 राज्य निर्माण संतकारी संघ लिए (पैकफेड), निर्माण प्रखण्ड, कानपुर ।
- (9) चिल्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

मह भागानादेश इत्रेक्ट्रातिकानी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तासर की आवश्यक्त लग्नि है।

2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता के साइट <u>http://shasanad65.pp.oc.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) वित्त लियवक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

-3-

(11) प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, 3040 शासन।

(12) ब्रजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उठप्रठ शासन।

(13) वित (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, 3090 शासन।

(14) गार्ड फाइल।

अनिग से, (अवध किशीर त सचिव

Grant Letter of Rs. 1000.00 Lakhs from State Government, U.P.

संख्या:-30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(वजट-3)/2018

वेषकः,

डा० सरोज कुमार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोटे बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ: दिनवि विषय- हरकोर्ट बटलर प्राधिधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के सुद्रढीकरण/विस रूसा के

2

C (Car and and a second second

अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु0स0का0/2018 दिलांक 17.01.2018 का संदर्भ ले, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालस, कालपुर के सुरदीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुसोद्धिने काया के लिर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहते का लिदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के सुइढीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रू 1000.00 लाख (रू दस करोडे आत्र) पुर्लविलियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शता के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रअगत तिर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवता की जिल्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) स्वीकृत धर्नराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 आग-1 के प्रस्तर-369 एच

के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्मत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

- (3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (4) लेवर सेंस की धतराशि का भुगतात नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगो।
- (5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाता सुलिश्चित करेगी।

- (6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आहिट आपति एवं किसी भी प्रकार की विल्लीय अनियमिल्ला का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोटे बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का **दोगा।**

-2-

- (8) स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धनराशियों के आगृणन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (9) अवमूक धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवरपकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट अबटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर द्वारा कोषागार से आहुरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अग्रले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (10) प्रायोजना में प्रस्तायित सर्विस स्वेस के स्थान पर जीठएस०टी० की लागत यास्तविक आवश्यकता के आधार पुरेश्वीयमानुसार देय होगी।
- (11) प्रायोजना का लिर्माण कार्य ए० माई०सी०टी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उल्तरदायीत्व कार्युदायी संस्था का होगा।

उक्त पर होने वाला व्यागु- होल् वितीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-47 3. के अंतर्गत लेखाशीर्थक-बश्चक्र शिक्षी, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-लकनीकी शिक्षा-105 हुंजीनियोरंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अत्रिगत³अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुद्रढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के लामे डीला (जीवेगा तथा व्यय संलग्न बी०एम० प्रयत्र-०९ (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित नेखाशीर्षक से उपलब्ध बचतों से पुलर्विलियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक बीठएमें०-९ प्रपत्र (भाग-1)

(डा0 सरोज कुमार) विशेष सचिव

3

भवदीय.

यहः शासानादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्तासर की आवस्थापता नहीं है ।

संख्या-30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018 तद्वितांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- अयर सचिव, उच्चलर शिक्षा विभाग, मालव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनङ।
- (3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (5) तिदेशक, स्थानीय लिधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- (6) जिलाधिकारी, कालपुर।
- (7) मुख्य कोषाधिकारी, कालपुर।
- (8) जिन नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- (9) वित नियंत्रक, हरकोर्ट घटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
- (10) श्री पी0सी0 जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविषिक् शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।
- (11) प्रवन्ध निदेशक, 3000 राजकीय निर्माण निगम ति लेखनजा
- (12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उठप्रठ शासन।
- (13) वित (व्यय नियंत्रण) अनुमाग-11/वित् (आय व्ययक) अनुभाग-1, उठप्र० शासन।
- (14) गाई फाइल।

आज्य हो, 'डू (अवध किशोर) अनु सचिव

े कि जानक नाम कि प्राय है अने इस पर इन्सासर की आवश्यकता नहीं है।

(Number and and all

10000

status new so that as particular (बजर मेग्रीजर का दर्शत-158 देखें) (1-mile) 6-mexico (min-

Induited in	R Sectors Hanning			TATAL THE TATA TATAL TATAL	AT AND ADDRESS
Alerta States (14 States States 14 States 1874)	आदेदन एड देते के दिल्लाक पर उद्यत्नवय अनुद्राम/विभिन्नेल	anden og 22 & Sans er genedt Eug	स्वजीत के अने पाले पालींग	the third part search by yearling	सक्रमण के तथात धेप अनुराम (प्रेलिक्के (2-5)
	2	1			1
Majori 20-47 *2102-1994, Banga, won ann staufdt ut upbrin aftran-02, muchth Ben-105-gallfact//exailab witka atu aptos-04-828 aftar anabu thurbit floutbanen, shturgi 24-958 Raini wei-	2000.200	001003	00'005	800.00	1400.000
"4202-तिषक केम्प्रफू कामा तथा जन्मजीते पर पूजीमत परीराधक-02- ल्वक्तीकी जिला-105-इ.की.जियरी/उडनतिकी कामेज लेपा संस्थान-16-इरकोर बटनर प्रौंचोंगेकी विध्वतियाजन्म, मन्त्रपुर-24-पहल जिंतांन कामे	900.00	400,00	400.00	00°00+	00.002
41441 -	2900.00	1000,00	1000.00	1000.00	1900.00
thousistan target a consider automat					रवेल विज्ञान दारा करी जादेगा
1998년 1998년 1999년 1999년 1999년 1999년 1999년 1999년 1999년 1999년 1991년 1991년 1991년 1991년 1991년 1991년 1991년 1991년 199	धिन्द्रम दन के लिए उपलस्प अनुदान/सिनियोन	वितीय वर्ष में इत्यांपिल कुछ राषय	taen fi anninga turinga	ter ter solution ter	REARING AND
		4	01	11	
Augural Aueal *102-Pheri, damper, mur par manult un gahne aftrom 02-amble Pheri-105 geblichtfon/exement weeks par arean-0.05 media 5-ample Pheri achaine (aun) & yerdin Militani apund di tumun ou geblance-24-ges Studen med-	60.00	100.001	1000.00	00000	0010081
414 1	600.00	athr 600.00 1600.00 1000.00	1000.001	1000:00	1600.00

Proform BMACH 2018 DFV.

1

*

23

2

(stian 調整 Ċ (DATER)

(1) धमाणित किया जात है कि उपयुंक युनवितियोग में उत्तर प्रदेश मजट मैनुमेस के प्रस्तर-150 म 151 में जिहित प्रतिकाम्हे/परिसीमाजी का उत्तमधा नहीं होता है।

0

आर०ई० संजया 1-720/ई-11-530/दस-१०१८, दिनांक 29 मार्च, 2018

皆事た

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

नाम य पद्रतास. Becher Idea Ideal मामय गाउटा) उप सचिव avanit

संखया-1160

वित्त विभाग

प्रतिथि निज्यतिषित को सुप्रमार्थ पर्य आवश्यक कार्यपाई हेतु प्रेषित:-

सम्बंधित कार्यालयारवस (नियंत्रक उधिकारी) कुलसधिव, हरकोर्ट बटलर, पाविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

सम्यचित कोषांचिकारी (द्वारा कुलस्तित्व)।

निदेशक, विसीय सावियकी निदेशालय, जयाहर अयन, लयानज

थित (आव-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन चतियों में)

त्राम य पदलाम..... PT-187.

प्रशासकीय जिलाग,

Ξ

प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेव और शरीत ध्यय से संथपित पुर्वविनियोगों के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

अमुदेश

पाविधिक लिक्का विभाग (अवध्य गिवसीय) अन्तु सचिय

71

しいの男子の見ていてい

£

प्रपत्र के व्यत्स-5, 6 व 11, 12 में कि विभाग द्वारा स्थीकृत पुनीवितियोग अंकित किया जायेगा।

शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्थीकृत हुये हों, को सन्निमसित किया जाय।

कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रायधन, अनुपूरक प्रायधान और पूर्तविनियोग की धनराशि, जो प्रस्तावित पुर्नाविनियोग के दिनांक तक संयंपित लेखा

जिल सेखा शोधों में प्रभाव पड़ेगा उलना वर्णन व्यरिवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरुप होना चाहिए।

भारित दयय हे सम्बंधित प्रस्ताची में लेखाधीचे के साथ कोष्टन में शब्द "आरित" अंकित कर दिया जाय।

S 2 Grant Letter of Rs. 340.00 Lakhs from State Government, U.P. under RUSA

	संख्याः-31/2018/1095/	095/सोलह-1-2018-9(बजद-3)/2018टा.सा.				
पेषक. अवध किशोर, अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	(35)	Prog Anyor = absender				
सेवा में,		k				
कुलसचिव,	Loui a	A second and				
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक कानपुर।	विश्वविद्यालय,	Call 41200				
वाविधिक शिक्षा अनुमाग-1		लखनऊ: दिनांक, 31 मार्च, 2018				

विषय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुइद्रीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

गहोदय,

11. 17/4/18 500

उपयुंक विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु0स0काछ/2018 दिसांक 17.01.2018 का संदर्भ ले. जिसके द्वारा हरकोर्ट बदलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुद्दीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियाल (रुसा) द्वारा अनुसोदित कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश, हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्रायिधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के सुद्दविकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु रू 340.00 लाख (रू तौन बनोड चालीस लाख मात्र) पुर्वविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शतों के अधीन स्वीकृति प्रदीन करते है--

- प्रज़गत तिर्माण कार्य की विशिष्टियां, मालक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय इस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच
- के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (१३) प्रक्षगत धलराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
 - (4) लेबर सेस की धलराशि का भुगताल लियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कालपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र दिलांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2

72

1.5 Be Heaven & Deress to us -ne 3 tag tail for feefinger winder a

- (6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी।
- (7) स्वीकृत धनशांचि का उपयोग विल्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपति एवं किसी भी प्रकार की विल्तीय अनियमित्ता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।
- (8) स्वीकृत धलराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धलराशियों के आगणन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक ,विश्वविद्यालय, कालपुर द्वारा सुलिभित की जायेगी।
- (9) अवमुक्त घलराशि में से लिमांण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धलराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोवे बठलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कीस्र्वदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्वश्रम द्वी गयी धलराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपराल्त अगले 02 माह के लिए धलराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।
- (10) प्रायोजना में प्रस्तावित सविस टेक्स के स्थान पर जो०एस०टी० की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तियुजीनुसार देय होगी।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य एएआई०सी०ँटी०ई० के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायील्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- (12) स्वीकृत की जा रही धनेसलि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, आरत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्भारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. उस पर होने वाला व्यय चाल वितीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखारीषिक 42002 शिक्षा, खेलकृद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789 अनुसूचिज जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अशियान (कसी) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुद्दीकरण (के-60/रा 40के+रग-24 वर्ड किर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बीठएम0 प्रपत-09 (पाठेग) के रंतरुग-1 ने उल्लिखित लेखाशीर्षक से उपलब्ध बचलों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

 यह आदेश चित (आय-व्ययक) अनुमाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिलांक 03.8.2017 में जिहित पायिधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं। संलग्लक: बी0एम0-9 प्रपत्र (भाग-1) भयदीय, .

> (अवध किशोर) अनुभाषिय

3.

यह शासामादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, 3811 इस पर इस्लाक्षर की आवश्यकला नहीं है।
 यह शासामादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, 3811 इस पर इस्लाक्षर की आवश्यकला नहीं है।

संख्या-31/2018/1095/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018टी.सी. तडि्नांक-

प्रतिलिपि निस्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अयर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मालव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, (1)शास्त्री मचल, लई दिल्ली।
- निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ। (2) (3)

-3-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । (4)
- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । (5)
- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- जिलाधिकारी, कालपुर। (6)
- सुख्य कोषाधिकारी, कालपुर। (7)
- (8) ²⁰वित नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।
- वित नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर पाविधिक विश्वविद्यालय, कानपूर (9)
- श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (10) (मुख्यालय), कालपुर।
- (11) प्रवर्ण्य निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0) लखनऊ।
- उच्च शिक्षा अनुभाग-३, उठप्रठ शासन। (12)
- (13) वित (दयय नियंत्रण) अनुमाग-11/वित (साथ ट्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (14) गाउं फाइल।



यह जासमादेश इसेप्रदानिकली जारी किया लगा है, अल- इस पर इस्लामर की भगवाजाल जर्म है

74

Profeins BM-DB-2018 DEV

עולעלעסי וסופון לנאטיו अनु सचिव (MURI TREET)

> हसाज कल्पाण विस्तान। प्रमुख- साहित

(Not 195)

FC

State addi' Burbhaugh

割り対 महानेबाकर (विद्या एव हमरावि) प्रयम

-1 1040 AGO 1-

/221-2018, 12-114 30 ant, 2018

(A) प्रमाणित किया जाल है कि आपूंश पुनवितियोग में प्राय परेश जाट मैनुआल के पत्रता-150 व 151 में लियेह परिकार्य-परियोग्यों का उल्लंडन नहें तील है। 181

(2) error 2 is all when a setter error a when a during other over b must \mathfrak{F}_1

11) Anna is ash a shrist muusi 52 mis subth w strath mungang shrint kan mana & t-stath (1)

अत्युद्धान संख्या व नामा-३३ सम्प्रांड पाल्यांग विकांग विकांश विकिंग हे प्रदर्शीय	Distance and		2017 F 2002	100	AD PART & INDER
the lots and for such and all and lots	प्रायद्वात्र/ स्वार्थित स्वयत्रे ४० जायदे स्वर्थत्र ६४ हर्ष्टार्थ	त्यात्र इत्याव्य या जनस्य अन्द्रिय यह हुए क	भूगामा भूगम् स्था अन्तर्भाव	Algebra bit ment	अनुहानः विजेतीत (2-5)
भूत्रकोर्गे १० घटनप्रोत प्राधाणि के धुन्ससं जेने किन किन्द्र प्राधा प्राधानिक प्राधानिक किन्द्र के प्राधानिक कि	2 66,00	00.39 0	\$6.00	55.00	0.00
The second secon				100 200	350.00
"(1001 शिवा: 10)वहार जन्म तान तान्मती दा प्रतिहर दरियाय-01. सब्दोंका	00.005	- DAVINET	and the second	Tour of	
भाषा-783-अन्तर्भका अवस्थित के लिए प्रितेष प्रदेश निर्माण करे. "4202-विषय काल्प्रेल काल मध्य सम्बद्धी पर प्रतीयन परिणय-00- जन्मकेले रिक्षा-783-अन्तर्भका जातिन्द्री के लिए प्रितेष प्रदेश परिणय-00- जन्मकेले	200.00	124.00	124.00	124.00	76.00
wise some under 2 - 2010-00 to 2010 to 2010	766,00	00.040	340.00	140.00	426.00
			1	विमध्य मध्य	वित क्षेत्रांग प्राय आवत्रा
preventers (# Sta 26181 51) and mit	भग्नेद्रान्त्र/भग्नदिश अन्तर्भक कर संस्थित स्वर्भक कर संस्थित	वित्रीय वर्ष हे प्राचरित कुत्र त्वय	ta (h Linten Departe Definiseen	्राम्स्य स्वाम्स्य सन्दर्भाष्ट्रित स्वाम्स्य सन्दर्भाष्ट्रम्य स्वा	मानमा क प्रभव विजित्तीन (ह+) 75
		10	8	N.	1
apie harry solver(12-201 2/09-2010-2222 po urmar as prosent numeric logar a (and) reagin unit heats achieved (10-10-10-10-00 depend 2-20-10-2010 achieved any a prime childle 681-000 apiere 70-2224, a logar in glats, nu data "2224, latt:2021.	150.00	490.00	340.00	346.00	4 90,00
	00.93	490.00	340,00	00.004	00.069

पुराधिक्षिक के स्टीकृति के लिए आपेक्स ान् देख्यात् (मान-t)

(यसट केंद्रुमच का प्रस्तर-155 देखें)

12001-14: 2017-18

प्रायति सन् रहे है

ित्त्य अधिकती। हुन्दर्भाष स्वतं वटना प्रथिषिक विश्वविधालय, कानपुर। िताद रह आवश्यक कार्यदाई के जिल्ला-कि देशमारिया 一日日日に िनिधासम्, जयाहर हेयल ज्यान्त (अवर्थ किश्तेर) अनु सचिव जाविदिक शिक्ष विभाग आजा स, ALEIA 76 MANDON

No.-1/2018/4761/16-1-2017-9(budget-7)/2011

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 02 Jan, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Construction for construction of Nag drawing hole in the Main Building

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs. 30.00 Lakhs** (Thirty Lakhs only) which is sum of Rs. 24.00 Lakhs (Grant No.-47) and Rs. 6.01 Lakhs (from Grant No.-83) for the Construction for construction of Nag drawing hole in the Main Building of Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

No.-3/2018/4257/16-1-2017-9(budget-6)/2016

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 18 Jan, 2018

Subject: Regarding release of remaining grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for some construction work

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the remaining Grant of Total **Rs. 137.06 Lakhs** (One Crore, thirty-seven six thousand's only) which is sum of 109.64 Lakhs (Grant No.-47) and Rs. 27.42 Lakhs (Grant No.-83) for some construction work in Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

No.-26/2018/1178/16-1-2018-9(budget-6)/2016

Sender,

Mr. Surjan Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 26 March, 2018

Subject: Regarding release of remaining grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for some construction of 200 seated Girls Hostel

3. In this regards, I am directed to state that the Honourable Governor has approved the remaining Grant of Total **Rs. 230.29 Lakhs** (Two Crore, thirty Lakhs and twenty-nine thousand only) which is sum of Rs. 187.72 Lakhs (Grant No. 47) and Rs. 42.57 lakhs (Grant No.-83) for construction of 200 seated Girls Hostel in Harcourt Butler Technical University, Kanpur.

No.-30/2018/1160/16-1-2018-9(budget-3)/2018

Sender,

Dr. Saroj Kumar Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 29 March, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion under RUSA Scheme

2. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs**, **1000.00 Lakhs** (Ten Crore only) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion as a Central approved Grant under the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiya (RUSA).

No.-31/2018/1095/16-1-2018-9(budget-3)/2018T.C.

Sender,

Mr. Awadh Kishore Special Secretary State Government, U.P.

To Registrar Harcourt Butler Technical University Kanpur

Technical Education Dept-1

Lucknow, Dated: 31 March, 2018

Subject: Regarding release of grant to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for Upgradation and expansion under RUSA Scheme

2. In this regards, I am directed to state that the after discussion, the Honourable Governor has approved the Grant of Total **Rs**, **340.00 Lakhs** (3 Crore, forty lakhs only) to Harcourt Butler Technical University, Kanpur for the construction of Approved work as a Central Grant under the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiya (RUSA).

Balance sheet reflecting expenditure of Amount Rs. 452.09 Lakhs received from University income V MEHROTRA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS H.O.: 3/3A, Vishnupuri, Kanpur - 208 002 • Tel.: 0512-2531806 Fax: 0512-2531806 • E-mail: rma.consult@gmail.com

To,

The Finance Controller, Harcourt Butler Technical University, Nawabganj, Kanpur

1. We have **compiled** the accompanying financial statements on the basis information provided by the Management. These financial statements comprise the Balance Sheet of Harcourt Butler Technological University as at March 31, 2018, Income & Expenditure Account for the Period starting from 01.04.2017 to 31.03.2018 and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

2. We performed this compilation engagement in accordance with Standard on Related Services 4410 (Revised), Compilation Engagements. We have complied with relevant ethical requirement and have completed the assignment on the basis of scope of work as discussed with the Management of Harcourt Butler Technological University.

 The management of the Harcourt Butler Technological University, Kanpur is responsible for:

a) Completeness and accuracy of the underlying data and complete disclosure of all material and relevant information to the accountant.

b) Maintaining adequate accounting and other records and internal controls and selecting and applying appropriate accounting policies.

c) Preparation and presentation of financial statements in accordance with the applicable laws and regulations, if any.

 d) Establishing controls to safeguard the assets of the University and preventing and detecting frauds or other irregularities.

e) Ensuring that the activities of the University are carried out in accordance with the applicable laws and regulations and preventing and detecting any non compliance.



Branch Offices : Cabin No. 116, Church Gate Chambers, Plot No.5, New Marine Lines, Mumbei, 400 non

82

CHEDULE FOR FIXED ASSETS OMPLETE DETAILS AVAILABLE IN VALUER REPORT-

51.	Particulars		Gross 8	Hock							
		Opening Balance	Addition	Sale/Tranfer	Closing Balance	Acres 1 and 1		eciation		Nut	Block
1	Building	988352367.72	11685185.00	0.00		Opening Balance	Addition	Adjustment	Closing Balance		and the second se
2	Equipments	12:906375.04	6385637.001	0.00	1000037552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Closing Balance	Opening Balance
3	Equipments-TEQUIP	0.00	26213048.00	0.001	128292012.04	0.00	0.00	0.00			988352367.7
4	Vehciles	3422411.88		2.00	26213048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128292012.04	121906375.0
5	Furniture & Fixtures	0.00	00.0	0.00	3422411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	26213048.00	0.00
6	Land	23759937000.00	925508.00	0.00	925508.00	0.00	0.00		0.00	3422412.00	3422411.80
-	Total		01001	0.00	23759937000.00	0.00		0.00	0.00	925508.00	0.00
-	- Court	24873618154.64	45209378.00	0.00	24918827532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23759937000.00	23759937000.00
	(3)				and a second sec	0.00]	0.00	0.00	0.00	24918827532.76	24873618154.64

6 INTERNAL AUDITOR

REGISTRAR

ACCOUNTS OFFICER

EF.

FINANCE/CONTROLLER



2